सितम्बर 2020

मध्यप्रदेश
पंचायिका
पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
बी.एस. जामोद

समन्वय
मध्यप्रदेश माध्यम

परामर्श
प्रद्युम्न शर्मा

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क :
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स
भोपाल–462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755–4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

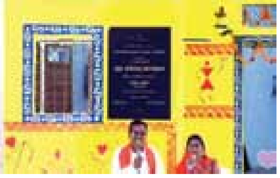
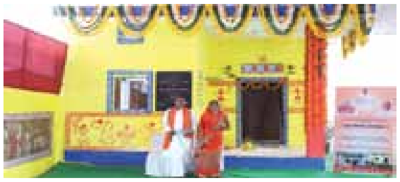

4 ▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस अवसर पर मध्यप्रदेश में गरीब कल्याण उत्सव
6 ▸ अन्न हर व्यक्ति का अधिकार, सभी को मिलेगा पर्याप्त राशन
10 ▸ महिला सशक्त तो समाज सशक्त, प्रदेश सशक्त
14 ▸ मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन : प्रमुख उपलब्धियां
15 ▸ महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिये शिवराज सरकार की क्रांतिकारी पहल
17 ▸ दस हजार ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ब्याज रहित दस हजार का ऋण वितरित
21 ▸ मध्यप्रदेश में एक लाख पिचहत्तर हजार आवासहीनों को मिले आवास
26 ▸ प्रदेश के गांवों में खुशियों को लगे पंख
27 ▸ मध्यप्रदेश में जनकल्याण के लिये अभूतपूर्व कदम
29 ▸ गांवों में विकास की तस्वीर बदलने वाले पंचायत प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री का सीधा संवाद
31 ▸ मनरेगा के कार्य, वनोपज की आमदनी ने किया कमाल
33 ▸ घरेलू नल कनेक्शन से जलापूर्ति की हो रही कारगर पहल
34 ▸ प्रदेश की विकसित पंचायत कोदरिया
36 ▸ मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्देश
43 ▸ 'सबकी योजना सबका विकास' ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) हेतु विशेष अभियान क्रियान्वित किये जाने के संबंध में

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका के माध्यम से हमें ग्रामीण क्षेत्र के लिये शासन की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इससे ग्रामीण गरीबों को समुचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उन्हें योजना का लाभ लेना आसान हो जाता है। वे अधिकार स्वरूप स्वतः योजना के लाभ की मांग कर सकते हैं।

– गिरिजा भदौरिया
भोपाल (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका में समय–समय पर पंचायत गजट प्रकाशित किये जाते हैं। पंचायत गजट को लेकर मेरा एक सुझाव है कि एक वर्ष के पंचायत गजट पर केन्द्रित एक अंक प्रकाशित किया जाये। इससे पंचायत के वर्तमान निर्देश प्राप्त होंगे। यह एकजाई निर्देश निश्चित ही संग्रहणीय रहेंगे।

– रवि जकड़िया
सागर (म.प्र.)

संपादक जी,

पंचायिका को लेकर मेरा एक मशवरा है कि इसमें कम से कम 4 पेज की फोटो गैलरी सिर्फ विकासात्मक कार्यों पर केन्द्रित जारी की जाये, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन के चित्र दिखाई देंगे और विकास की वर्तमान स्थिति की झलक स्पष्ट होगी।

– अमित राठौर
विदिशा (म.प्र.)

संपादक जी,

पंचायिका में शासकीय योजनाओं की जानकारी, आयोजन, उत्सव और निर्देश तो जारी किये ही जाते हैं। मेरा सुझाव है कि पंचायिका में प्रतिमाह जिला, जनपद और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधित्व पर केन्द्रित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये। यह साक्षात्कार रिपोर्ताज, जानकारी किसी भी रूप में हो सकती है।

– अनीता मालवीय
भोपाल (म.प्र.)

बी.एस. जामोद
संचालक

प्रिय पाठको,

सितम्बर माह हमारे लिए कई अर्थों में विशेष है। हमारे लिए सौभाग्य और हर्ष की बात है कि इस माह में 17 सितम्बर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए उनके जन्मदिवस अवसर को गरीब कल्याण उत्सव के रूप में आयोजित किया। प्रदेशभर में गरीबों के कल्याण और आत्मनिर्भर प्रदेश के स्वरूप को निर्मित करने का प्रयास किया गया। लगभग सप्ताह भर चलने वाले गरीब कल्याण उत्सव में पंचायत राज व्यवस्था के लिए अपने दायित्वों के निर्वहन का अवसर था तो ग्रामीण हितग्राहियों के लिए लाभान्वित होने का संयोग। 16 सितम्बर को अन्न उत्सव आयोजन के अवसर पर प्रदेश की सभी पंचायतों में हितग्राहियों को राशन के लिए पात्रता पर्ची आवंटित की गयी। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम को हम अन्न उत्सव कॉलम में प्रकाशित कर रहे हैं।

प्रदेश में 20 सितम्बर का दिन महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व परिणाम लेकर आया है। आजीविका मिशन की लगभग 33 लाख स्व-सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 164 करोड़ रुपये का ऋण वितरण तथा 70 करोड़ रुपये के रिवाल्विंग फंड स्वीकृत किये गये। स्व-सहायता समूह क्रेडिट कैम्प के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम की रिपोर्ट को हमने पंचायिका के इसी अंक में शामिल किया है। गरीब कल्याण उत्सव की श्रृंखला में 24 सितम्बर को मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 10 हजार रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया। योजना के हितलाभ के लिए अब तक लगभग 8 लाख 52 हजार हितग्राहियों का पंजीयन कामगार सेतु पोर्टल पर किया जा चुका है। गरीब कल्याण की इस अनूठी योजना के क्रियान्वयन और आयोजन की रिपोर्ट मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना स्तम्भ में प्रकाशित है।

मध्यप्रदेश ने एक और इतिहास रचा है 12 सितम्बर को। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित करवाये गये 1 लाख 75 हजार आवासों के लाभार्थियों को उनके घर की चाबी प्रधानमंत्री जी द्वारा सौंपी गयी। वृहद स्तर पर वर्चुअल गृह प्रवेश का यह कार्यक्रम देश में अनोखा आयोजन है। आपके लिए गृह प्रवेशम् कार्यक्रम स्तम्भ में इस आयोजन की रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है। जनहित कॉलम में आप जानिए मध्यप्रदेश में जनकल्याण के लिए उठाये गये अभूतपूर्व कदमों की एक झलक। पंच-परमेश्वर योजना, पंचायतों के आधारभूत विकास का आधार है। इस वित्तीय वर्ष में 15वें वित्त आयोग के तहत 3984 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। विगत दिनों प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंच-परमेश्वर योजना के तहत 996 करोड़ रुपये जारी किये। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों से पंचायतों के कार्यों को लेकर सीधा संवाद भी किया। संवाद स्तम्भ में इस कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। कोविड महामारी में मनरेगा के कार्यों ने कई जगह आपदा को अवसर में बदला है इसका उदाहरण है मध्यप्रदेश का पातालकोट। मनरेगा में प्रकाशित है पातालकोट की यह अनुकरणीय पहल। पंचायिका के इस अंक से हम 'हमारी पंचायत' स्तम्भ की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी पंचायत स्तम्भ में इस बार लेकर आये हैं, कोदरिया पंचायत की झलक। हर बार की तरह इस बार भी आपके मार्गदर्शन के लिए पंचायत गजट में शासकीय आदेश प्रकाशित किये जा रहे हैं।

कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(बी.एस. जामोद)
संचालक, पंचायतराज

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस अवसर पर
मध्यप्रदेश में गरीब कल्याण उत्सव

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 16 से 28 सितम्बर तक जनकल्याण कार्यक्रमों का श्रृंखलाबद्ध आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का मत है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव गरीब वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी है। वे किसान मजदूर, महिलाएं, बच्चे, विद्यार्थियों, छोटे व्यवसायियों और गरीबों के कल्याण के लिये संकल्पबद्ध हैं इसलिए प्रदेश में उनके जन्मदिवस अवसर को गरीब कल्याण के प्रतीकात्मक संबल का स्वरूप प्रदान किया गया है। गरीब कल्याण कार्यक्रमों की श्रृंखला में 16 सितम्बर को अन्न उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के लगभग 37 लाख नये हितग्राही जोड़े गये। इन हितग्राहियों की पात्रता पर्ची बनाकर उन्हें राशन का वितरण शुरू किया गया। यह अन्न उत्सव प्रदेश के 52 जिलों के 22549 ग्रामीण तथा 3668 शहरी इस प्रकार कुल 25997 स्थानों पर शुरू किया गया।

17 सितम्बर के दिन प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस को पोषण महोत्सव के रूप में मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की आठ करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। प्रदेश के 97 हजार से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों पर एक साथ मनाये गये पोषण महोत्सव में आठ लाख बच्चों को दूध वितरण आरंभ किया गया। प्रदेश की 1,10,447 कन्याओं को लाड़ली लक्ष्मी योजना में 28 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

18 सितम्बर को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 22 लाख किसानों के खाते में 4688 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गये।

19 सितम्बर का दिन आदिवासी वनवासी भाइयों के साथ उत्सव का दिन था। प्रदेश में आदिवासी वनाधिकार पत्रों के वितरण कार्यक्रम में 2 लाख 70 हजार से अधिक व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र तथा 29 हजार 996 सामुदायिक वनाधिकार पत्र वितरित किये गये।

20 सितम्बर को स्व-सहायता समूह क्रेडिट कैम्प आयोजित हुआ जिसमें प्रदेश के स्व-सहायता समूहों को मजबूत बनाने का नया अभियान शुरू किया गया। इसमें 164 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया तथा 70 करोड़ रुपये के रिवाल्विंग फंड स्वीकृत हुए। 22 सितम्बर का दिन किसान कल्याण आयोजन का था इस दिन सबका साथ - सबका विकास कार्यक्रम के तहत

63 हजार हितग्राहियों को फसल ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किये गये।

23 सितम्बर को आपका संबल आपकी सरकार के तहत बाइस जिलों के 308 स्थानों पर आयोजित इस कार्यक्रम में संबल योजना के 3700 हितग्राहियों के खातों में 80 करोड़ की राशि का अंतरण किया गया। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने के लिए सहकारी बैंकों को 800 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गयी।

24 सितम्बर को ग्रामीण पथ व्यवसायियों को ऋण वितरित किया गया। मध्यप्रदेश के ग्रामीण पथ विक्रेताओं को आर्थिक आधार प्रदान करने, उनके व्यवसाय को मजबूत करने के लिए उन्हें 10 हजार रुपये का ब्याज रहित ऋण प्रदान किया गया। 25 सितम्बर को एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती अवसर पर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 16 हजार 208 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 40 करोड़ 52 लाख रुपये प्रदान किये गये।

26 सितम्बर को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसान कल्याण निधि के अंतर्गत 1 लाख 75 हजार किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की गयी। इससे प्रदेश के 77 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

● **विकास तिवारी**
लेखक पत्रकार हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दीं शुभकामनाएँ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस, 17 सितम्बर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित कीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एक दूरदर्शी और वैश्विक नेता हैं। उनके नेतृत्व में भारत न केवल चहुँमुखी प्रगति कर रहा है बल्कि विश्व गुरु की अपनी पुरानी पदवी को हासिल करने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। श्री मोदी ने न केवल कोरोना जैसे वैश्विक संकट को समय पर पहचानकर उस पर प्रभावी नियंत्रण किया अपितु चुनौती को अवसर में बदलते हुए नए आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है। मध्यप्रदेश उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए तत्परता के साथ जुट गया है। जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएँ।

अन्न हर व्यक्ति का अधिकार
सभी को मिलेगा पर्याप्त राशन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 सितम्बर को समन्वय भवन भोपाल में अन्न उत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी सुविधाओं के साथ लिखाई, पढ़ाई और दवाई के समुचित प्रबंध के लिये प्रतिबद्ध है।

समाज के गरीब तबके की थाली कभी खाली नहीं रहेगी। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के साथ प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना को समाहित कर जरूरतमंद वर्ग को प्रतिमाह खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गयी।

प्रदेश के सभी जिलों में नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची और राशन के पैकेट का वितरण किया जा रहा है। अन्न हर व्यक्ति की आवश्यकता है।

प्रदेश में 37 लाख ऐसे लोगों को यह अधिकार दिया जा रहा है जिनके पास पात्रता पर्ची न होने से उन्हें राशन से वंचित होना पड़ रहा था। राजधानी, जिला, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर हो रहे कार्यक्रम से सभी नवीन हितग्राहियों को इस महीने से प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं अथवा चावल और प्रति परिवार एक किलो आयोडाइज्ड नमक एक रुपये प्रति किलो की दर से देने की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा नये पुराने सभी उचित मूल्य उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में आगामी नवम्बर महीने तक प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं अथवा चावल और एक किलो दाल नि:शुल्क दी जाएगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 6 महिला हितग्राहियों सुश्री बबीता, सीमा,

- अन्न उत्सव प्रदेश के 52 जिलों के 22 हजार 549 ग्रामीण और 3 हजार 368 शहरी इस प्रकार कुल 25 हजार 997 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया।
- कार्यक्रम में एक करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों ने प्री–रजिस्ट्रेशन कराया।
- प्रदेश में 25 हजार 176 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं।
- प्रदेश में प्रतिमाह 29 लाख 70 हजार क्विंटल अनाज, 1 लाख 16 हजार क्विंटल नमक, 16 हजार 400 क्विंटल शक्कर और 18 हजार 352 किलो लीटर केरोसिन उचित मूल्य दुकानों पर पहुँचाया जाता है।
- कोविड के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अप्रैल माह से 27 लाख क्विंटल अनाज तथा एक लाख 17 हजार क्विंटल दाल प्रतिमाह राशन दुकानों तक पहुँचाई गयी। यह क्रम नवम्बर माह तक जारी रहेगा।
- कोविड के समय में देश के विभिन्न भागों से मध्यप्रदेश आए एक लाख 9 हजार परिवारों को भी अनाज उपलब्ध कराया गया।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 25 श्रेणियों के हितग्राहियों को पात्रता है।

शोभा, सुनीता, वंदना और बादामी देवी को राशन पैकेट और पात्रता पर्ची प्रदान की। कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने की।

अनाज, मकान, पढ़ाई की फीस और पीने का पानी नागरिकों का अधिकार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अन्न उत्सव के शुभारंभ अवसर पर कहा कि अनाज सहित अन्य सस्ती सुविधाएँ देना किसी वर्ग पर अहसान नहीं है। यह उनका अधिकार है। बुद्धिमान होकर भी बहुत से बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं।

स्कूल शिक्षा के स्तर पर उनकी फीस तो सरकार भरती ही है अब उच्च शिक्षा की फीस भी सरकार भरेगी। इसके अलावा प्रदेश की सभी गरीब जरूरतमंद बहनों को गैस चूल्हा भी मिलेगा। यही नहीं हर व्यक्ति को पीने का साफ पानी और सभी को पक्का मकान भी देंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही शासकीय नौकरियों में भी भर्ती खुलने से युवाओं को रोजगार मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस मौके पर 37 लाख नवीन उपभोक्ताओं में से 25 लाख को लाभान्वित करने के पश्चात शेष चिन्हित 12 लाख उपभोक्ताओं सहित करीब 1.66 लाख आटो रिक्शा चालकों को भी राशन देने के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश सभी जिलों के कलेक्टरों को दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीबों का अनाज हजम करने वाले लोगों और कालाबाजारियों को छोड़ा नहीं जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी गरीबों के मसीहा, इसलिये मध्यप्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह मना रहे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अन्न उत्सव मेरी जिंदगी की खुशी का दिन है। आज गरीबों की प्रत्यक्ष सेवा हो रही है। 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री श्री मोदी का जन्मदिन है। श्री मोदी गरीबों के मसीहा हैं। इसलिये मध्यप्रदेश सरकार श्री मोदी के जन्मदिवस पर गरीब कल्याण सप्ताह मना रही हैं। हम सभी इस अन्न उत्सव के शुभारंभ के शुभ अवसर पर आज ही प्रधानमंत्री श्री मोदी को बधाई देते हैं।

देश को गौरवशाली, वैभवशाली और समृद्धशाली बनाने का मंतव्य रखने वाले हमारे मोदी जी योगी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के साहस को देखकर देशवासी अब चीन का नाम सुनकर नहीं घबराते। भारत दुनिया की महाशक्ति है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गरीबों के लिए अद्‌भुत कार्य किया है। उन्होंने इसी माह मध्यप्रदेश के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिलवाए हैं। यही नहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को उनका काम धंधा ठीक से चलाने के लिये 10 हजार रुपये प्रति हितग्राही के मान से ऋण राशि दिलवाई है। प्रधानमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिये चिंतित हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ भी उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है।

गरीब को चाहिए अन्न, कोई भूखा नहीं रहेगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक गरीब को अन्न मिले, भारत का कोई व्यक्ति भूखा न हो, ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, डॉ. हेडगेवार, गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी यही विचार और यही सपना था।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में व्यक्तियों के समक्ष रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याएँ बढ़ गई थीं। मध्यप्रदेश सरकार ने देश के विभिन्न भागों से लौटे व्यक्तियों के लिये भी अन्य सभी व्यवस्थाएँ कीं। कोरोना के प्रबंधन के लिए पूर्व सरकार ने कुछ नहीं किया था। मार्च के अंतिम सप्ताह से रोगियों की जाँच और उपचार की सभी व्यवस्थाएँ की गईं।

अन्न उत्सव में मुख्यमंत्री श्री चौहान का हितग्राहियों से संवाद

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुरैना की श्रीमती जिल्लो खान, उज्जैन के श्री लक्ष्मण मण्डलोई, इन्दौर के श्री राधेश्याम तथा छतरपुर जिले की कस्तूरी बाई से चर्चा की।

सिलेंडर मिला, मकान मिला अब राशन भी मिल रहा है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक गरीब को अन्न मिले, भारत का कोई व्यक्ति भूखा न हो, ये सपना सिर्फ मेरा ही नहीं, डॉ. हेडगेवार, गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी यही विचार और यही सपना था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में व्यक्तियों के समक्ष रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याएँ बढ़ गई थीं। मध्यप्रदेश सरकार ने देश के विभिन्न भागों से लौटे व्यक्तियों के लिये भी अन्य सभी व्यवस्थाएँ कीं। कोरोना के प्रबंधन के लिए पूर्व सरकार ने कुछ नहीं किया था। मार्च के अंतिम सप्ताह से रोगियों की जाँच और उपचार की सभी व्यवस्थाएँ की गईं।

बानमौर मुरैना की श्रीमती जिल्लो खान ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि उन्हें दो साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान मिल गया था। उसके बाद सिलेंडर एवं रसोई गैस मिली और अब सस्ता राशन भी मिल गया है। उन्हें 1 रुपये किलो में 50 किलो गेहूं एवं चावल मिले हैं तथा नमक एवं केरोसिन भी मिला है। इसके अलावा उन्हें 50 किलो नि:शुल्क राशन एवं प्रति सदस्य 1 किलो दाल भी हर महीने मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वह अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं तथा आगे बढ़ाएं। सरकार हर तरीके से उनकी मदद करेगी।

मंत्री जी इनका अच्छे से अच्छा इलाज कराएं

अंबोदिया, जिला उज्जैन के हितग्राही श्री लक्ष्मण मंडलोई ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि उनके परिवार में 5 सदस्य हैं, उन्हें पात्रता पर्ची मिल गई है तथा 25 किलो गेहूं चावल एवं नमक भी प्राप्त हो गए है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि वे कुछ दिनों पहले एक दुर्घटना में दिव्यांग हो गए थे। अतः अब कोई कामकाज नहीं कर पाते हैं। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उज्जैन से शामिल हुए उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव से कहा

''मुझे आज 25 किलो गेहूं, चावल तथा नमक एक रुपये की दर पर मिल गया है। इसके साथ ही हर महीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन भी नि:शुल्क मिल रहा है। मेरे बच्चों की फीस सरकार भर रही है, बिजली का बिल भी माफ हो गया है। मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद। मामा जी आज मैं बहुत खुश हूँ''।

श्री राधेश्याम

भवन निर्माण श्रमिक, इन्दौर

कि मंत्री जी आप इनका अच्छे से अच्छा इलाज कराएं। लक्ष्मण मंडलोई के बेटे सौरभ मंडलोई ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से कहा कि मामा जी आपकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, मेरी फीस माफ हो गई है तथा छात्रवृत्ति मिल रही है। मैं आगे एमबीए करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उसे शिक्षा में पूरी मदद प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी।

मामा जी आज मैं बहुत खुश हूँ

इन्दौर जिले के भवन निर्माण श्रमिक श्री राधेश्याम ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से कहा कि उन्हें आज 25 किलो गेहूं, चावल तथा नमक एक रुपये की दर पर मिल गया है। इसके साथ ही उन्हें हर महीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन भी नि:शुल्क मिल रहा है। उनके बच्चों की फीस सरकार भर रही है, उनका बिजली का बिल भी माफ हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा कि मामा जी आज मैं बहुत खुश हूं।

आपके चेहरे पर हरदम मुस्कुराहट रहे

छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा की कस्तूरी बाई ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि वे मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का जीवन यापन करती हैं। उनके 5 बच्चे हैं। उन्हें आज 30 किलो गेहूं, चावल तथा नमक एक रुपये किलो की दर पर मिल गया है। इसके अलावा 30 किलो गेहूं चावल तथा 6 किलो दाल भी नि:शुल्क मिल गई है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आप खुश रहें, आपके चेहरे पर हरदम मुस्कुराहट रहे, यही उनकी कामना भी है और प्रयास भी। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के गरीब की थाली कभी न रहे खाली के उद्देश्य को पूरा करने के लिये विभाग निरंतर सक्रिय रहा। गांव और शहरों में सर्वे करवा कर, छूटे हुए लोगों को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना से जोड़ा गया। अब प्रदेश की 75 प्रतिशत से अधिक आबादी लाभान्वित हो रही है। पूर्ववर्ती सरकार गरीब की चिंता न करके मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन में लगी रही। जबकि मुख्यमंत्री श्री चौहान को हर गरीब के भोजन की चिंता है। उनके निर्देश पर इस योजना से आटो चालकों को भी जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण श्री फेज अहमद किदवई ने किया। आभार प्रदर्शन संचालक खाद्य श्री तरुण कुमार पिथोड़े ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मध्यप्रदेश गान हुआ। कमिश्नर भोपाल श्री कवीन्द्र कियावत भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

● अशोक मनवानी

उप संचालक, जनसंपर्क

महिला सशक्त तो समाज सशक्त, प्रदेश सशक्त

सशक्त महिलाएं ही प्रदेश को सशक्त बनाएंगी। केवल बड़े उद्योग आने से कोई प्रदेश बड़ा नहीं बनता। घर–घर की आत्मनिर्भरता से आत्मसम्मान और विश्वास पैदा होता है। हमारी परंपरा में बहन–बेटी का सम्मान सर्वोपरि है। धार्मिक मान्यता में भी महिलाओं को सर्व शक्तिमान माना गया। प्रदेश की महिलाओं ने कोरोना काल में यह सिद्ध करके दिखा दिया कि वे हर विपदा से बचाने में सक्षम हैं। बहन–बेटियों को समाज में बराबरी का स्थान दिलाने के लिये राज्य सरकार हर पहलू पर कार्य कर रही है। लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो या स्कूलों में पढ़ाई के लिये दी जाने वाली सुविधाएं, लक्ष्य यही है कि महिलाओं को बराबरी का स्थान मिले। आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिये स्व–सहायता समूहों से महिलाओं को जोड़ा गया है, यह पहल एकता में शक्ति के सिद्धांत पर की गयी है। राज्य सरकार स्व–सहायता समूहों को उत्पादन, पैकेजिंग और मार्केटिंग में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कर रही है। इसके लिये राज्य स्तर पर संस्थान आरंभ किया जाएगा तथा हर स्तर पर मार्गदर्शन के लिये विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। समूहों के उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के लिये ऑनलाइन ट्रेडिंग तथा ई–प्लेटफार्म उपलब्ध कराये जायेंगे। हमारी कोशिश है कि समूहों से जुड़ने वाली महिलाओं को स्थायी कार्य मिले और कम से कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह की आय प्राप्त हो।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश में गरीब कल्याण उत्सव का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में 20 सितम्बर को मिंटो हॉल भोपाल में स्व–सहायता समूहों के लिए बैंक ऋण वितरित किये गये। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्व–सहायता समूह क्रेडिट कैम्प का शुभारंभ करते हुए 164 करोड़ का ऋण वितरण तथा 70 करोड़ के रिवाल्विंग फण्ड को स्वीकृत किया। प्रस्तुत है आयोजन पर केन्द्रित विशेष लेख :

महिलाएं परिवार का केन्द्र हैं और समाज का आधार। वही परिवार, समाज और राष्ट्र प्रगति करता है जहाँ महिलाएं प्रगतिशील हों। वह समाज और परिवार कभी प्रगति नहीं कर सकता जहाँ महिलाएं पिछड़ी हों, आश्रित हों या शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं होतीं। यदि महिलाएं मानसिक और आर्थिक आत्मनिर्भर होती हैं तो वे परिवार की समृद्धि में सहभागी होती ही हैं इसके साथ ही वे समाज में आने वाली पीढ़ी को सक्षम भी बना सकती हैं। इसीलिए मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के काम को अपनी पहली प्राथमिकता में लिया है। यूँ तो नगरों और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली सभी महिलाओं की

प्रगति सरकार की प्राथमिकता में है फिर भी इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अधिक जोर दिया है। इस दिशा में राज्य सरकार ने जो काम किये वह देशभर में अग्रणी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया की पहल पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यह काम दोनों चरणों में किया जा रहा है व्यक्तिगत भी और समूहगत भी।

व्यक्तिगत स्तर पर शासन की अनेक योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, अनुदान और ब्याज आदि में सहायता दी जा रही है वहीं स्व-सहायता समूहों के लिए भी अनेक प्रकार की सहायता का ऐलान किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने का सबसे बड़ा आधार देश की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण जीवन की सहभागिता है। देश की सत्तर से पचहत्तर प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है। बेशक नगरीय औद्योगीकरण से अर्थव्यवस्था में नगरों का प्रतिशत बढ़ रहा है लेकिन देश के जीवन का आधार तो गांव ही हैं। हाल के कोरोना संकट में पूरी दुनियां ने देखा कि जैसे ही फसल मंडियों में आयी देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी। इसी बात को मध्यप्रदेश सरकार ने भांपा और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में योजनाएं लागू कीं। प्रगति के आयाम किसी भी दिशा में हों पर इस सत्य से कोई इंकार नहीं कर सकता कि देश और समाज की अर्थव्यवस्था में सदैव महिलाओं की सहभागिता रही है। ग्रामीण जीवन और कृषि कार्यों में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रही हैं।

मुख्य बिन्दु

- 164 करोड़ रुपये का ऋण वितरण तथा 70 करोड़ रुपये के रिवाल्विंग फंड की स्वीकृति।
- सरकारी खरीद में स्व-सहायता समूहों को मिलेगी प्राथमिकता।
- बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा 300 करोड़ रुपये से बढ़कर हुई 1400 करोड़ रुपये।
- अब-तक 33 लाख महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ीं।
- आजीविका मिशन के माध्यम से अब तक ग्रामीण क्षेत्र के 33 लाख जरूरतमंद निर्धन परिवारों को तीन लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों से जोड़कर 1523 करोड़ रुपये बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं।
- प्रदेश के 43 हजार से अधिक ग्रामों के 11 लाख 54 हजार से अधिक परिवारों को कृषि व पशुपालन गतिविधियों से जोड़ा गया है।
- तीन लाख 69 हजार से अधिक परिवारों को सूक्ष्म गतिविधियों से जोड़ा गया है।

खेती की निंदाई गुढ़ाई से लेकर खलिहान के काम पशु सेवा आदि सब काम महिलाओं के ही जिम्मे रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे खेती का मशीनीकरण शुरू हुआ भले ही महिलाओं की सीधी सहभागिता कम हुई लेकिन उन्हें परिवार में आर्थिक सहयोग करने के लिये मजदूरी करने निकलना पड़ा। मजदूरी में मेहनत ज्यादा और आय सीमित रहा करती थी। इसी समस्या का समाधान करने के लिये राज्य सरकार ने एक रास्ता निकाला और स्व-सहायता समूहों का गठन आरंभ किया। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं में छोटी बचत, अपनी कला कौशल के विकास से काम करने की नयी शैली विकसित होने

लगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में आरंभ इस योजना में कई गुना विस्तार दिया गया है। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिये एक प्रकार से बूस्टर डोज दिया है। इस वर्ष बैंकों के माध्यम से स्व–सहायता समूहों को दी जाने वाली राशि की सीमा तीन सौ करोड़ से बढ़ाकर 1400 करोड़ की है। साथ ही सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि इन स्व–सहायता समूहों को बैंकों से लगने वाली ब्याज की दर चार प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इससे ऊपर की ब्याज राशि राज्य सरकार देगी। अभी संपूर्ण प्रदेश में कोई 33 लाख महिलाओं को इन स्व–सहायता समूहों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 33 लाख महिलाओं को जोड़ने का अर्थ हुआ 33 लाख परिवारों को जोड़ना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।

इस दिशा में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार केवल योजनाएं बनाकर और उन्हें लागू करने की घोषणा करके ही अपने काम को पूर्ण नहीं मानती बल्कि इसकी निचले स्तर तक मॉनीटरिंग की जाती है। इस काम में प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव स्वयं निचले स्तर का फीडबैक लेते हैं। यही नहीं स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के स्व–सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से सीधे भी बात की। उनका कार्य जाना, दी जा रही सहायता का विवरण पूछा यही नहीं भविष्य के संकल्प और विस्तार की योजनाएं भी समझीं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की इस पहल से संपूर्ण विभागीय अमला भी चुस्ती और तत्परता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के काम में लग गया।

इन स्व–सहायता समूहों से जुड़ी अधिकांश महिलाएं वे हैं जो पहले मजदूरी करती थीं लेकिन अब उन्होंने कुछ प्रशिक्षण लिया और अपना स्वयं का काम करने लगी हैं। यह स्व–सहायता समूह एक तरफ जहाँ महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के काम तो कर ही रहे हैं। इसके साथ सामाजिक जाग्रति के काम भी यह महिला समूह कर रहे हैं। इनकी उपयोगिता हाल के कोरोना काल में सामने आयी। स्व–सहायता समूहों ने कोरोना से बचाव के लिये गाँव में अभियान छेड़े। निसंदेह गांव में इस महामारी से बचाव में इन स्व–सहायता समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने और परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो काम किये जा रहे हैं उनमें अनेक ऐसे उत्पाद प्रारंभ किये गये जिनसे आसपास की जरूरतें पूरी हो रही हैं। इन उत्पादों से लोगों की जरूरत भी पूरी हो रही है और क्षेत्र की पहचान भी बन रही है। विशेष कर छोटे खिलौने, थैली, कढ़ाई, बुनाई आदि के ऐसे काम हैं जिनके आयात पर बहुत रुपया खर्च होता है। अब सरकार ने न केवल इन स्व–सहायता समूहों को प्राथमिकता देने के साथ इनके उत्पादों का भी संरक्षण और प्रोत्साहन का निर्णय लिया है। अब सरकारी खरीद में इन स्व–सहायता समूहों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों में वितरित होने वाले रेडी टू ईट पोषण आहार, शाला स्तर का गणवेश, पोषण आहार आदि कार्य भी इन स्व–सहायता समूहों से ही करवाये जायेंगे। इन स्व–सहायता समूहों को पूर्ण स्वायत्तता रहेगी। सरकार की कोशिश होगी यदि इन स्व–सहायता समूहों का उत्पादन गुणवत्तापूर्ण होता है और ख्याति प्राप्त करता है तो उसके निर्यात की व्यवस्था की ओर भी ध्यान दिया जा जायेगा। तभी सार्थक होगा लोकल पर वोकल सिद्धांत और फिर उसे ग्लोबल बनाना।

स्व–सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये ऑनलाइन ट्रेनिंग और ई ट्रेडिंग का काम भी किया जायेगा। शासन का सोचना है कि इन स्व–सहायता समूहों का विकास कला और कौशल के साथ आधुनिकता से स्पर्धा भी करनी होगी इसलिए ई ट्रेडिंग और ऑनलाइन सिस्टम बनाने की जरूरत है। शासन ने इस दिशा में भी काम आरंभ कर दिया है। सरकार ने इन स्व–सहायता समूहों का एक महासंघ बनाने का भी फैसला किया है। इसका कारण यह है कि अलग–अलग गांव के उत्पाद अलग हैं हर स्व–सहायता समूह की अपनी विशेषता होती है। यदि इन उत्पादों का एक क्लस्टर बनाया जाये या ऐसा समूह बनाया जाये

जिससे एक दूसरे की जरूरत पूरी हो सके इनमें एक समग्रता आ सके। इस विपणन महासंघ से स्व–सहायता समूहों के उत्पाद की ब्रांडिंग होगी और मार्केटिंग के काम में सहायता मिलेगी। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इन स्व–सहायता समूहों की बहनों को विशेष शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन्हें केस स्टडीज के रूप में लिया जा सकता है ताकि इन बहनों द्वारा अन्य महिलाओं की सहायता की जा सके।

विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं विकास की धारा या आत्मनिर्भरता बड़े उद्योगों से नहीं होगी। बड़े उद्योगों से आधुनिकता के दर्शन तो होते हैं पर रोजगार की आत्मनिर्भरता के लिये कुटीर उद्योगों की ही जरूरत होगी। और यह जरूरत स्व–सहायता समूहों से ही पूरी होगी। इन स्व–सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके काम को गति देने के लिये प्रतिमाह डेढ़ सौ करोड़ का ऋण दिया जायेगा। इन स्व–सहायता समूहों की गतिविधियों को बढ़ाने और इनके उत्पादों की बेहतर विपणन सुविधा के लिये एक पोर्टल भी बनाया गया है। जिसमें प्रत्येक स्व–सहायता समूह का विवरण होगा उनके उत्पाद की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों का विवरण होगा।

इन स्व–सहायता समूहों से जहाँ महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं वहीं गांवों में उद्यमशीलता का वातावरण बन रहा है। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, उनमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है। पहले छोटी–छोटी बातों पर साहूकार से ऋण लिया जाता था जिससे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना ग्रामीणजनों को करना पड़ता था। ऐसे उदाहरण भी हैं जब साहूकारों के ऋण के कारण परिवार तबाह हो गये लेकिन अब आत्मनिर्भरता के अभियान से साहूकारी कर्ज से मुक्ति मिली और महिलाएं इतनी सक्षम बन रही हैं कि वे अपनी बहनों की सहायता कर रही हैं। इन स्व–सहायता समूहों से जुड़ी अधिकांश महिलाएं वे हैं जो पहले मजदूरी करती थीं, मजदूरी कभी मिली, कभी न मिली। कई बार भरपेट भोजन की समस्या भी हो जाया करती थी। लेकिन अब स्व–सहायता समूहों से जो महिलाएं जुड़ी हैं उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। अब मजदूरी की आवश्यकता नहीं। अनेक महिलाएं ब्यूटी पार्लर भी चला रही हैं। विशेषकर इन समूहों ने प्लास्टिक पन्नी के विकल्प के रूप में कपड़े और अन्य सुगम थैली आदि की व्यवस्था की है उसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है। योजना लागू करते समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो संकल्प लिया था महिलाओं को सशक्त बनाने का, समाज को उन्नत बनाने का वह संकल्प अब साकार हो रहा है। इन स्व–सहायता समूहों से ही अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति विकसित होकर अग्रणी हो सकेगा। एक सक्षम प्रदेश का सपना पूरा हो सकेगा। निसंदेह महिला सशक्त है तो परिवार सशक्त, परिवार सशक्त है तो समाज सशक्त और समाज सशक्त है तो प्रदेश सशक्त होगा यही सपना मध्यप्रदेश में स्व–सहायता समूहों के माध्यम से पूरा हो रहा है

● रमेश शर्मा

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन : प्रमुख उपलब्धियां

- लाभान्वित ग्राम– 43,464
- स्व–सहायता समूह– 3,02,150 स्व–सहायता समूहों (एस.एच.जी.) का गठन किया गया है।
- स्व–सहायता समूह के बैंक खाते– 2,39,117 स्व–सहायता समूह के बैंक खाते खोले गये।
- स्व–सहायता समूह से जुड़े परिवार– 34 लाख 01 हजार परिवार समूहों से जोड़े जा चुके हैं।
- ग्राम संगठन– 27,655 ग्राम संगठन (व्ही.ओ.) बनाए गए हैं, जिनमें 2,09,081 समूहों की सदस्यता हो चुकी है।
- संकुल स्तरीय संगठन (सी. एल.एफ.)– 878 बनाए जा चुके हैं।
- सी.टी.सी.– विभिन्न जिलों में सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र सी.टी.सी. 44 संचालित हैं।
- बुक कीपर्स– स्व–सहायता समूहों की बुक कीपिंग के लिए 2,13,116 बुक कीपर्स प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।
- रोजगार/स्वरोजगार– इस कार्यक्रम अंतर्गत लगभग 51 हजार ग्रामीण युवाओं को डी.डी.यू.जी.के.वाई. से रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण तथा 2 लाख 35 हजार युवाओं को आरसेटी के माध्यम से स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही ग्रामीण युवाओं को रोजगार मेलों के माध्यम से भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण एवं स्वरोजगार योजना– मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से 62,600 हितग्राही लाभान्वित किए गये हैं।
- बैंक ऋण– बैंकों से 1 लाख 87 हजार प्रकरणों में रु. 1,523 करोड़ का ऋण समूहों को दिलाया गया है।
- बैंक सखी/बी.सी.– समूहों का लेनदेन सरल करने की दृष्टि से 1564 बैंक सखी एवं 1458 बी.सी. सखी प्रशिक्षित होकर कार्यरत हैं।
- समुदाय आधारित बीमा सुरक्षा संस्थान– 24 जिलों में गठित किये जा चुके हैं, इस वित्तीय वर्ष में 62 हजार सदस्य जोड़े जा चुके हैं।
- कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से जोड़े गये परिवार– 11 लाख 54 हजार परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।
- गैर कृषि आधारित आजीविका गतिविधियां– 3 लाख 69 हजार परिवारों द्वारा गैर कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों का संवर्धन किया गया है।
- वस्त्र/परिधान– स्व–सहायता समूहों से जुड़ी 47,500 से अधिक महिलाएं परिसंघ अथवा स्वतंत्र रूप से सिलाई कार्य कर वस्त्र/परिधान तैयार कर रही हैं।
- सेनेटरी नेपकिन– मिशन द्वारा सेनेटरी नेपकिन की उत्पादन/रीपैकेजिंग इकाईयां स्थापित की गई हैं, जिसमें स्व–सहायता समूहों की 8777 महिलाएं जुड़ी हैं।
- अगरबत्ती उत्पादन– अगरबत्ती उत्पादन से 4789 समूह सदस्य जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं।
- वाश उत्पाद निर्माण– 7015 समूह सदस्यों द्वारा साबुन, टॉयलेट क्लीनर, वाशिंग पाउडर, फिनाइल एवं हैण्ड वाश का निर्माण किया जा रहा है।
- हथकरघा– प्रदेश में 1236 हितग्राही हथकरघा कार्य में संलग्न हैं।
- आजीविका फ्रेश– स्व–सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सब्जियों के विक्रय के लिये 657 आजीविका फ्रेश संचालित किए जा रहे हैं।
- उन्नत कृषि– एस.आर.आई. पद्धति से 1,72,971 हितग्राहियों द्वारा धान का उत्पादन खरीफ सीजन में किया गया। जिससे उत्पादन में लगभग दो गुना वृद्धि हुई है।
- पोषण वाटिका–लगभग 14 लाख 81 हजार ''आजीविका पोषण वाटिका'' (किचन गार्डन) तैयार की गई हैं।
- जैविक खेती–जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8,91,159 हितग्राहियों द्वारा वर्मी पिट और नाडेप पिट बनाए गए हैं।
- व्यावसायिक सब्जी– 4 लाख 40 हजार कृषकों को व्यावसायिक सब्जी उत्पादन के साथ जोड़ा गया है।
- दुग्ध उत्पादन– 1,53,387 परिवारों द्वारा दुग्ध उत्पादन गतिविधि आरंभ की गई है।
- उत्पादक कंपनियां– 34 उत्पादक कंपनियां (जिनमें 28 कृषि आधारित, 3 दुग्ध, 2 मुर्गीपालन, 1 लघु वनोपज) कार्यरत हैं।
- कोविड–19 – कोविड–19 महामारी के दौरान स्व–सहायता समूह सदस्यों द्वारा 1.21 करोड़ से अधिक मास्क, 1.14 लाख सुरक्षा किट (पी.पी.ई. किट), 98439 लीटर सेनेटाइजर, 18331 लीटर हैंडवाश एवं 2 लाख 27 हजार साबुन बनाए एवं विक्रय किए गए।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना– 8,52,639 पंजीकृत प्रकरण हैं । बैंकों को 1,96,402 प्रकरण अग्रेषित किये गये हैं जिसमें से 9,271 प्रकरणों का वितरण हुआ है।

• **दिनेश दुबे**
राज्य आजीविका मिशन, भोपाल

महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिये शिवराज सरकार की क्रांतिकारी पहल

देश की कुल आबादी का 75 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जिनका प्रमुख आधार खेती रहा है। प्रारंभ से ही ग्रामीण महिलायें खेती कार्य में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिला शक्ति को पहचान कर मध्यप्रदेश सरकार ने उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास की अवधारणा को मूर्तरूप दिया है। ग्रामीण अंचलों में महिलाओं द्वारा छोटी-छोटी बचत और घर पर बनाई गई वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिये क्रांतिकारी पहल मध्यप्रदेश में हुई है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिये व्यापक स्तर पर महिलाओं को मदद का सिलसिला शुरू किया गया है, जिससे वे अपने हुनर को बढ़ाकर अपनी आय का स्थायी जरिया कायम कर सकें।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिये प्रभावी कार्ययोजना तैयार की गई है। इस कार्ययोजना को मूर्तरूप देने के लिये बूस्टर डोज के रूप में राज्य शासन द्वारा इस वर्ष महिला स्व-सहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से दी जाने वाली सहायता सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपये कर दी गई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि बैंक ब्याज दर चार प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। इसके ऊपर का ब्याज राज्य सरकार देगी। सम्पूर्ण प्रदेश के महिला स्व-सहायता समूहों की 33 लाख महिलाओं को स्व-रोजगार की दिशा में बढ़ावा देने के लिये की गई इस नवीन व्यवस्था से प्रदेश की महिलाएं सशक्त होंगी। सशक्त महिलाएं ही प्रदेश को सशक्त बना सकती हैं। उन्हें आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करने और स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों और विपणन के लिये स्व-सहायता पोर्टल भी तैयार किया गया है।

प्रदेश सरकार के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान बेटियों और महिलाओं के प्रति अति संवेदनशील हैं। उनका मानना है कि भारतीय परंपरा में बहन-बेटी का सम्मान सर्वोपरि है, अत: बहन-बेटियों को समाज में बराबरी का स्थान मिले इसके लिये राज्य सरकार हर पहलू पर कार्य कर रही है। प्रदेश की महिलाओं ने कोरोना काल में यह सिद्ध करके दिखा दिया कि वे हर विपदा से बचाने में सक्षम हैं।

प्रदेश सरकार के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान बेटियों और महिलाओं के प्रति अति संवेदनशील हैं। उनका मानना है कि भारतीय परंपरा में बहन-बेटी का सम्मान सर्वोपरि है, अत: बहन-बेटियों को समाज में बराबरी का स्थान मिले इसके लिये राज्य सरकार हर पहलू पर कार्य कर रही है। प्रदेश की महिलाओं ने कोरोना काल में यह सिद्ध करके दिखा दिया कि वे हर विपदा से बचाने में सक्षम हैं। महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाये गये मास्क और पीपीई किट ने आम लोगों और सरकार की बहुत सहायता की। महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये तैयार की गई सामग्री काफी उपयोगी साबित हुई।

मध्यप्रदेश के कई ग्रामीण अंचलों में

निष्ठा विद्युत मित्र योजना

एक कदम महिला आत्मनिर्भरता की ओर

अक्सर यह सुनने में आता है कि लोग बिजली चोरी करते हैं। समय पर बिजली का बिल न भरना, बिजली कनेक्शन की समस्याएं आदि ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान सहज नहीं है। यह बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इस कार्य को आसान और सहज किया है आजीविका मिशन की स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने, स्व-सहायता समूह आर्थिक स्वावलम्बन का पर्याय है। मध्यप्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में महिला आत्मनिर्भरता के लिए विशेष योजना संचालित की गई है। यह योजना है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। इसके तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूह में पंजीकृत महिलाओं को निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में अनुबंधित किया गया है। योजना से जुड़कर लगभग 200 से भी अधिक महिलाओं को जहां आर्थिक लाभ हो रहा है वहीं इन महिलाओं की सक्रियता और परिश्रम से इस क्षेत्र में आधार स्तर पर बिजली की समस्या दूर हुई है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि कड़ी मेहनत और उदारवादी दृष्टिकोण से यह महिलाएं योजना के क्रियान्वयन में अच्छा काम कर रही हैं। यह योजना बेहतर परिणाम के साथ-साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। निष्ठा विद्युत मित्र मालती प्रधान ने बताया कि क्षेत्र के लोग उन्हें वसूली भाभी के नाम से जानते हैं। मालती ने बताया कि कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान पति की आमदनी कम हो गई थी लेकिन बिजली कंपनी की निष्ठा विद्युत मित्र योजना ने आमदनी के नये दरवाजे खोल दिए। मैंने इस योजना के लिए पूरे मन से काम किया। मालती स्नातक तक पढ़ी हैं और क्षेत्र के लोग उन्हें वसूली भाभी 440 वोल्ट करंट के नाम से जानने लगे हैं। वसूली को लेकर पूछने पर उन्होंने बताया कि शुरुआती महीनों में वसूली में बहुत दिक्कतें आयीं। लोग वसूली के प्रति इतने गंभीर नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमने बिजली अधिनियम और नियमों का हवाला दिया तो धीरे-धीरे लोगों ने बिजली बिल जमा करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों को यह उनके हित में लगा। अब लोग निष्ठा विद्युत मित्र महिलाओं को सम्मान से बैठाते हैं और बिजली बिल जमा करते हैं। योजना में काम कर रही होशंगाबाद जिले के पलासी गांव की मालती प्रधान बिजली बिल की वसूली, नये कनेक्शन, राजस्व वसूली और बिजली चोरी की रोकथाम आदि के काम कर रही हैं। यह अपने आप में एक मिसाल है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नये द्वार खोले हैं। 195 निष्ठा विद्युत मित्रों ने 13 लाख से भी अधिक राजस्व वसूली की है। होशंगाबाद में 8 और राजगढ़ में 4 नये कनेक्शन भी दिए हैं। यह योजना अब गति पकड़ रही है। विशेषकर महिलाओं में इसे लेकर जागरूकता बढ़ रही है। इटारसी के पास की रश्मि मीना ने सोना सावरी गांव में बिजली चोरी की रोकथाम की दिशा में काफी काम किया है। निशा विश्वकर्मा (उम्र 42) भोपाल जिले के बैरसिया की रहने वाली हैं। उन्होंने निष्ठा विद्युत मित्र योजना में वसूली और बिजली चोरी रोकने की दिशा में कदम बढ़ाये हैं। निशा लोगों को बताती हैं कि बिजली चोरी से जेल भी हो सकती है तथा आपको और आपके परिवार को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है। इस प्रकार की जागरूकता लाने से क्षेत्र में वे काफी हद तक बिजली चोरी रोकने में सफल हुई हैं। योजना में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बैतूल, गुना, होशंगाबाद, राजगढ़ एवं सीहोर में राजस्व वसूली का प्रतिशत कई गुना बढ़ गया है। वहीं इससे जुड़ी निष्ठा विद्युत मित्र आत्मनिर्भर हुई हैं।

● **देवेन्द्र गोरे**
लेखक पत्रकार हैं

संचालित महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा अनेक ऐसे उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं, जो न केवल उनके क्षेत्र में अपितु प्रदेश एवं अन्य राज्यों में भी पहचाने जा रहे हैं। गाँव के इस हुनर को आगे बढ़ाने के लिये प्रदेश सरकार प्रोत्साहन के साथ-साथ उन्हें आर्थिक मदद भी उपलब्ध करवा रही है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब सरकारी खरीदी में स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश में अब महिला स्व-सहायता समूहों को आंगनवाड़ी केन्द्रों में वितरित होने वाले रेडी-टू-ईट पोषण आहार और शाला स्तर पर गणवेश निर्माण का कार्य दिया जा रहा है। इन कार्यों में स्व-सहायता समूहों को पूर्ण स्वायत्तता रहेगी। इससे प्रदेश में लोकल को वोकल बनाने का सिद्धान्त सार्थक होगा।

स्व-सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये उन्हें उत्पादन, पैकेजिंग, मार्केटिंग में विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण को व्यवस्थित करने के लिये राज्य स्तर पर संस्थान बनाया जाएगा। समूहों के उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के लिये ऑनलाइन ट्रेडिंग तथा ई-प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की जा रही है। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में 43 हजार से अधिक ग्रामों में 3 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है, इन समूहों से 33 लाख 96 हजार परिवार जुड़ चुके हैं। समूहों को रोजगार की विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण भी दिया गया है।

प्रदेश के 11 लाख 54 हजार से अधिक परिवारों को कृषि व पशुपालन गतिविधियों से जोड़ा गया है। तीन लाख 69 हजार से अधिक परिवारों को सूक्ष्म गतिविधियों से जोड़ा गया है। निर्धन परिवारों को योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई न हो इसके लिए सरकार द्वारा हितग्राहीमूलक योजनाओं को अधिक व्यवहारिक, सरल व पारदर्शी बनाया जा रहा है। सशक्त एवं आर्थिक रूप से समृद्ध महिला स्व-सहायता समूह नए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेंगे।

दस हजार ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ब्याज रहित
दस हजार का ऋण वितरित

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत 10 हजार से अधिक ग्रामीण व्यवसायियों को अपना व्यवसाय सुचारु रूप से चलाने के लिये एक साथ आवश्यक कार्यशील पूंजी ऋण वितरण के वर्चुअल कार्यक्रम का 24 सितम्बर 2020 को शुभारंभ किया। इस अनूठी योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के ग्रामीण अंचल के छोटे व्यवसायियों को 10 हजार रुपये तक का बैंक ऋण प्रदेश शासन की गारंटी पर उपलब्ध कराया गया। इस राशि का ब्याज भी प्रदेश सरकार वहन करेगी। यह योजना स्टाम्प ड्यूटी से भी मुक्त रखी गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रारंभ मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना ग्रामीण अंचल में विभिन्न तरह के छोटे व्यवसाय करने वालों के लिये मील का पत्थर साबित होगी। ऐसे व्यवसायियों में ग्रामीण शिल्पी जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, चर्म-शिल्पी, केश-शिल्पी, टेलर, हाथठेला चालक, साइकिल, गाड़ी, मोटर साइकिल सुधारने वाले, फल-सब्जी, समोसा-कचौड़ी, आदि बेचने वाले जैसे अन्य लघु व्यवसायी शामिल हैं। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन की अवधि में ऐसे छोटे व्यवसायियों को हुई आर्थिक परेशानी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में यह योजना प्रारंभ की गयी है।

यह व्यवसायी 10 हजार रुपये बगैर ब्याज के ऋण से न केवल अपना काम-धंधा पुनः शुरू कर सकेंगे बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। इस योजना का अधिकाधिक ग्रामीण व्यवसायियों को लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कामगार सेतु पोर्टल बना कर योजना को सरल तथा पारदर्शी बनाया गया है। योजना के अंतर्गत अभी तक आठ लाख 52 हजार हितग्राहियों का पंजीयन कामगार सेतु पोर्टल में हो चुका है। योजना से 18 से 55 वर्ष के ग्रामीण व्यवसायियों सहित ग्रामीण प्रवासी श्रमिक, व्यवसाय करने के इच्छुक ग्रामीण गरीब परिवार, आजीविका मिशन अथवा तेजस्विनी परियोजना में गठित स्व-सहायता समूहों की महिलायें भी लाभान्वित हुई हैं। योजना को शैक्षणिक योग्यता तथा जाति बंधन से मुक्त रखा गया है।

● रीमा राय

लेखक स्तम्भकार हैं

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल भोपाल में 24 सितम्बर को ग्रामीण पथ व्यवसायियों के ऋण वितरण कार्यक्रम में कहा कि मध्यप्रदेश के ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के व्यवसाय को मजबूत आधार देने के लिए उन्हें 10 हजार रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज देने की योजना अमल में लाई गई है। सभी वेंडर्स अपना कार्य सम्मानजनक ढंग से कर सकें, इसलिए इन सभी को परिचय पत्र प्रदान किए जाएंगे। हम बड़ी कंपनियों को छोटे व्यवसायियों का व्यवसाय छीनने

नहीं देंगे। हमें आपकी मेहनत पर विश्वास है इसलिए मैं आपके ऋण की गारंटी ले रहा हूँ और इस ऋण का ब्याज भी सरकार ही चुकायेगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण पूरे प्रदेश में किया गया। विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से भी लाखों लोग कार्यक्रम से लाइव जुड़े।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर हितग्राहियों से संवाद किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मध्यप्रदेश गान से हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारे सब्जी और फल बेचने वाले, चाट की दुकान लगाने वाले, पान की दुकान चलाने वाले, मनिहारी की छोटी दुकान चलाने वाले, मोची, नाई, धोबी और अन्य इसी तरह के कार्य करने वाले लघु व्यवसायी कोविड-19 के कारण आर्थिक दिक्कतों में थे। इनकी समस्याएं इस योजना से हल करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने जुलाई माह में योजना की रूपरेखा बनायी। सिर्फ ढाई माह की अवधि में आज प्रदेश के 20 हजार ग्रामीण पथ-विक्रेताओं को ऋण राशि मिल रही है।

ऋण चुकाने पर दोगुनी राशि के ऋण की व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस योजना से मध्यप्रदेश के स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। प्रदेश में 16 सितम्बर से विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए गरीब कल्याण सप्ताह में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके अंतर्गत आज रेहड़ी पटरी वालों को सौगात दी जा रही है। प्रदेश के 20 हजार हितग्राहियों को यह सौगात मिल रही है जिसमें लाभार्थियों को 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि हितग्राही द्वारा दस हजार का ऋण चुकाने पर आगामी वर्ष दोगुनी राशि देने का योजना में प्रावधान है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स से कहा कि आपकी जिन्दगी बदलना ही हमारी जिन्दगी का मकसद है।

रोजगार सेतु पोर्टल में पंजीकृत सभी स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा ऋण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस योजना में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों की सराहना की है। देश के कुल हितग्राहियों में से 66 प्रतिशत हितग्राही मध्यप्रदेश के हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शहरी क्षेत्र में योजना की सफलता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को भी लाभान्वित करने पर विचार किया जाए। प्रदेश में कामगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 8 लाख 52 हजार पंजीयन हो चुके हैं। सभी स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

पथ-विक्रेताओं को हटायेंगे नहीं-साथ मिलकर करेंगे पथ प्रबंधन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लघु व्यवसायियों की रोजी-रोटी की चिंता दूर करने के साथ ही उन्हें उनके स्थान से न हटाने के संबंध में भी निकायों को निर्देश दिए जाएंगे। सौंदर्यीकरण के नाम पर इन मेहनतकश वेंडर्स को उनके व्यवसाय करने के स्थान से हटाने का कार्य नहीं किया जाएगा। पथ-विक्रेताओं के साथ मिलकर पथ को साफ और सुंदर रखने के लिए को-ऑपरेटिव्स स्ट्रीट मैनेजमेंट अर्थात सहयोगी पथ-प्रबंधन की बात भी हमें सोचनी होगी,

जिसमें पथ विक्रेताओं को अपना सामान बेचने का अधिकार होगा और पथ में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में उनकी भागीदारी भी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन पथ-विक्रेताओं को ऋण प्राप्त होगा उन्हें जनपद पंचायत से पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा।

ग्रामीण पथ विक्रेताओं से बातचीत

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्दौर, शहडोल और गुना के पथ विक्रेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बातचीत की।

ब्याज मामा भरेंगे

इन्दौर के सांवेर जनपद के ग्राम पंचायत रिंगनौदिया के श्री मुकेश से बातचीत में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोन मिल गया है। अब किश्त ठीक से चुकाना, ताकि फिर दोगुनी राशि का लोन ले सको। इस पर मुकेश ने कहा कि निश्चित रूप से हम नियमित किश्त चुकाएंगे और ब्याज तो मामा भरेगा। श्री मुकेश सब्जी का ठेला लगाते हैं। मुकेश ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी बेटी अस्वस्थ रहती है। इस बातचीत में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री सिलावट को कहा कि वे मुकेश की बेटी का इलाज कराएं और उपयुक्त विशेषज्ञ की सलाह लें।

मामा फुल्की सेंटर

शहडोल की ग्राम पंचायत महोत्रा के रामबिहारी विश्वकर्मा फुल्की का ठेला लगाते हैं। उन्होंने अपने ठेले का नाम मामा फुल्की सेंटर रखा है। रामबिहारी बताते हैं कि वे पहले मजदूरी करते थे। उनकी पत्नी स्व-सहायता समूह की सदस्य हैं। पत्नी से ही इस योजना का पता चला और अपना काम शुरू करने का विचार बनाया। अब स्वयं के काम का संतोष है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगे और काम बढ़ाना, लोन की चिंता मत करना। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने फुल्की सेंटर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी।

आप पहल करें, सहयोग हम देंगे

गुना जिले के ग्राम बक्सनपुर के भागीरथ बागले मनिहारी की दुकान चलाते हैं। श्री भागीरथ के बेटे ने बी-कॉम किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मनिहारी की दुकान के साथ-साथ दुकान में कुछ दूसरा समान रखकर आमदनी बढ़ाई जा सकती है। सरकार ऐसी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। आप पहल करें, सहयोग हम देंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान की संवेदनशीलता से पथ विक्रेताओं को पूंजी भी मिली और संबल भी

कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास

राज्यमंत्री श्री रामखेलावन पटेल ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की संवेदनशीलता और दूरदर्शिता के परिणामस्वरूप ही यह योजना आरंभ हो सकी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना से वास्तव में जो जरूरमंद हैं और जिनके पास रोजगार का विकल्प नहीं था, उन्हें कोरोना काल में मदद मिली है। कोरोना महामारी के कारण पथ–विक्रेताओं और छोटे कारोबारियों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया था। इस योजना से उन्हें फिर से अपना कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी के साथ–साथ संबल भी मिला है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री श्री रामपाल सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम संचालन अपर मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी के समन्वयक श्री एस.डी. माहोरकर भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल के स्ट्रीट वेंडर्स सुश्री सरिता मारन, श्री हरी सिंह, श्री बाला प्रसाद, सुश्री संगीता अहिरवार, श्री प्रेम सिंह और सुश्री राखी बाई को प्रतीक स्वरूप चेक भेंट किए।

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना : एक नजर

- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कामगार सेतु पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना में 8 लाख 52 हजार से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन किया जा चुका है। इनमें से लगभग 35 हजार से अधिक हितग्राहियों के प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत ग्रामीण शिल्पी तथा छोटे व्यवसायियों को अपने व्यवसाय की उन्नति तथा सुचारु रूप से संचालित करने के लिये 24 सितम्बर को ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना के हितग्राहियों के लिये ऋण वितरण हेतु आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में श्री चौहान ने एक ही दिन में 20 हजार से अधिक हितग्राहियों को राज्य शासन की गारंटी पर विभिन्न बैंकों से दस–दस हजार रुपये की कार्यशील पूंजी वितरित की। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इन्दौर, शहडोल तथा गुना के हितग्राहियों से भी संवाद किया। गांव में मनिहारी, चाय, पान की गुमटी, मोची, दाड़ी–बाल वाले, कपड़े धोने वाले, फल–सब्जी, चाट, कबाड़, आईसक्रीम, कोल्ड्रिंक्स बेचने वाले न केवल अपना व्यवसाय करते हैं बल्कि लोगों तक जरूरत का सामान भी पहुंचाते हैं।
- 5 जुलाई को मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री पथ व्यवसायी योजना की रूपरेखा बनायी गयी। 24 सितम्बर 2020 को 20 हजार से अधिक हितग्राहियों को इस योजना के तहत ऋण प्रदान किया गया। आगे भी योजनान्तर्गत जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ऋण की गारंटी सरकार द्वारा दी गई है तथा ब्याज भी अनुदान स्वरूप सरकार द्वारा दिया जाएगा। पथ व्यवसायियों को व्यवसाय कौशल बढ़ाने के लिये प्रशिक्षित किया जाएगा इसके लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे इनका संचालन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।
- बड़ी कम्पनियां छोटे–छोटे काम धंधे भी शुरू कर रही हैं, जिससे छोटे व्यवसायियों का रोजगार छिन सकता है लेकिन मध्यप्रदेश में छोटे व्यवसायियों का काम छिनने नहीं दिया जाएगा। पथ व्यवसायियों को पंजीकृत कर उनके पहचान पत्र नगरीय निकायों, जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों से दिलवाये जाएंगे। शहरों में कई जगह हॉकर्स जोन बना दिये गये हैं, सही स्थानों का चयन कर शहरी एवं ग्राम पंचायतों में व्यवस्थित हॉकर्स जोन बनाये जायेंगे, जहां पथ व्यवसायियों को सम्मान के साथ बैठकर व्यवसाय करने की जगह मिल सके। व्यवसाय के साथ–साथ स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कराया गृह प्रवेश

मध्यप्रदेश में एक लाख पिचहत्तर हजार आवासहीनों को मिले आवास

प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की हाउसिंग फॉर ऑल के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। 12 सितम्बर 2020 का दिन मध्यप्रदेश के इतिहास में खास स्थान रखता है। खास इसलिए भी क्योंकि इस दिन प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किए गए 1 लाख 75 हजार आवासों के लाभार्थियों को उनके घरों की चाबी खुद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सौंपी। इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से वर्चुअल गृह प्रवेशम् कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में न सिर्फ मध्यप्रदेश बल्कि देश के विभिन्न राज्यों, जिलों व तहसीलों से लोग इस वृहद आयोजन के साक्षी बने। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि गरीबी दूर करने के लिए हमें उन्हें (गरीबों को) सशक्त करना होगा और इस योजना का उद्देश्य गरीबों को सशक्त बनाना है। उन्होंने मध्यप्रदेश में बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया और लोगों को उनके नए घर में गृह प्रवेश के लिए शुभकामनाएं दीं। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से बातचीत की और उनसे नए घर के बारे में जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर भी लोगों को सजग रहने का संदेश दिया। उन्होंने मंत्र देते हुए कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस समारोह में मध्यप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मंत्रीगण, सदस्य, सांसद व विधायकगण आदि वर्चुअल समारोह का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए 1 करोड़ 24 लाख 92 हजार 394 लोगों ने प्री–रजिस्ट्रेशन करवाया जो योजना के प्रति जनता के उत्साह का प्रतीक है। गृह प्रवेशम् कार्यक्रम 16 हजार 440 ग्राम पंचायतों के 26 हजार 548 ग्रामों में मनाया गया।

नई सोच के साथ योजना लागू

प्रधानमंत्री ने कहा 2014 में पुराने अनुभवों का अध्ययन करके, पहले पुरानी योजना में सुधार किया गया और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में बिल्कुल नई सोच के साथ योजना लागू की गई। इसमें लाभार्थी के चयन से लेकर गृह प्रवेश तक पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने कहा कि पहले गरीब सरकार के पीछे दौड़ता था, अब सरकार लोगों के पास जा रही है। अब किसी की इच्छा के अनुसार लिस्ट में नाम जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। चयन से लेकर निर्माण तक वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका अपनाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री का लाभार्थियों को संदेश

अभी कुछ लाभार्थियों से मेरी चर्चा हुई, जिनको आज अपना पक्का घर मिला है, अपने सपनों का घर मिला है, अपने बच्चों के भविष्य का विश्वास मिला है। अब मध्यप्रदेश के पौने 2 लाख ऐसे परिवार, जो आज अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, जिनका गृह–प्रवेश हो रहा है, उनको भी मैं बहुत–बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये सभी साथी टेक्नोलॉजी के किसी ना किसी माध्यम से, पूरे मध्यप्रदेश में इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आज आप देश के उन सवा दो करोड़ परिवारों में शामिल हो गए हैं, जिन्हें बीते 6 वर्षों में अपना घर मिला है, जो अब किराए के नहीं, झुग्गियों में नहीं, कच्चे मकान में नहीं, अपने घर में रह रहे हैं, पक्के घर में रह रहे हैं।

त्योहारों की खुशियां कुछ और ही होंगी

श्री मोदी ने कहा कि इस बार आप सभी की दीवाली, आप सभी के त्योहारों की खुशियां कुछ और ही होंगी। कोरोना काल नहीं होता तो आज आपके जीवन की इतनी बड़ी खुशी में शामिल होने के लिए, आपके घर का ये सदस्य, आपका प्रधानसेवक, पक्का आपके बीच होता। और आपके इस आनन्द उत्सव में भागीदार होता लेकिन कोरोना की जो स्थिति है, उसके कारण मुझे दूर से ही आज आप सबके दर्शन का अवसर मिल रहा है। लेकिन अभी के लिए ऐसा ही सही।

विश्वास देने वाला पल है

आज मध्यप्रदेश में सामूहिक गृह प्रवेश

का ये समारोह पौने 2 लाख गरीब परिवारों के लिए तो अपने जीवन का यादगार पल है ही, देश के हर बेघर को अपना पक्का घर देने के लिए भी एक बड़ा कदम है। आज का ये कार्यक्रम मध्यप्रदेश सहित देश के सभी बेघर साथियों को एक विश्वास देने वाला भी पल है। जिनका अब तक घर नहीं, एक दिन उनका भी घर बनेगा, उनका भी सपना पूरा होगा।

नीयत सही हो तो योजनाएं साकार होती हैं

आज का ये दिन करोड़ों देशवासियों के उस विश्वास को भी मज़बूत करता है कि सही नीयत से बनाई गई सरकारी योजनाएं साकार भी होती हैं और उनके लाभार्थियों तक पहुंचती भी हैं। जिन साथियों को आज अपना घर मिला है, जिनसे मेरी बातचीत हुई है और जिनको मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, उनके भीतर के संतोष, उनके आत्मविश्वास को मैं अनुभव कर सकता हूं। मैं आप सभी साथियों से यही कहूंगा कि ये घर आपके बेहतर भविष्य का नया आधार है। यहां से आप अपने नए जीवन की नई शुरुआत कीजिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अब आप नई ऊंचाइयों पर लेकर जाइए। आप आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा।

आपदा को अवसर में बदलने का उदाहरण है

कोरोना काल में तमाम रुकावटों के बीच भी देशभर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों का काम पूरा किया गया है। उसमें 1 लाख 75 हजार घर अकेले मध्यप्रदेश में ही पूरे किए गए हैं। इस दौरान जिस गति से काम हुआ है, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर बनाने में औसतन सवा सौ दिन का समय लगता है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो देश के लिए, हमारे मीडिया के साथियों के लिए भी ये बहुत सकारात्मक खबर है। कोरोना के इस काल में पीएम आवास योजना के तहत घरों को बनाने में 125 दिन नहीं सिर्फ 45 से 60 दिन में ही बनाकर तैयार कर दिया गया है। आपदा को अवसर में बदलने का ये बहुत ही उत्तम उदाहरण है। आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव हुआ? पहले 125 दिन अब 40 से 60 दिन के बीच में कैसे हुआ?

शहरों से लौटे श्रमिकों का बड़ा योगदान

इस तेज़ी में बहुत बड़ा योगदान रहा शहरों से लौटे हमारे श्रमिक साथियों का। उनके पास हुनर भी था, इच्छाशक्ति भी थी और वो इसमें जुड़ गए और उसके कारण ये परिणाम मिला है। हमारे इन साथियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार अभियान का पूरा लाभ उठाते हुए अपने परिवार को संभाला और साथ-साथ अपने गरीब भाई-बहनों के लिए घर भी तैयार करके दे दिया। मुझे संतोष है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान से मध्यप्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में करीब-करीब 23 हजार करोड़ रुपये के काम पूरे किए जा चुके हैं। इस अभियान के तहत गांव-गांव में गरीबों के लिए घर तो बन ही रहे हैं, हर घर जल पहुंचाने का काम हो, आंगनवाड़ी और पंचायत के भवनों का निर्माण हो, पशुओं के लिए शेड बनाना हो, तालाब और कुएं बनाना हो, ग्रामीण सड़कों का काम हो, गांव के विकास से जुड़े ऐसे अनेक काम तेज़ी से किए गए हैं। इससे दो फायदे हुए हैं। एक तो शहरों से गांव लौटे लाखों श्रमिक साथियों को रोज़गार उपलब्ध हुआ है। और दूसरा- ईंट, सीमेंट, रेत और निर्माण से जुड़े दूसरे सामान का व्यापार-कारोबार करते हैं, उनकी भी बिक्री हुई है। एक प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार अभियान इस मुश्किल समय में गांव की अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा सहारा बनकर उभरा। इसे बहुत बड़ी ताकत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो रहे कार्यों से मिल रही है।

गरिमापूर्ण जीवन देने का लक्ष्य नहीं हो पा रहा था पूरा

मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर घर तो देश में पहले भी बनते थे,

सरकार की योजनाओं के तहत बनते थे, फिर आपने बदलाव क्या किया? ये सही है कि गरीबों के लिए घर बनाने के लिए देश में दशकों पहले से योजनाएं चली आ रही हैं। बल्कि आज़ादी के बाद के पहले दशक में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत ये काम शुरू हो गया था। फिर हर 10-15 साल में इस प्रकार की योजनाओं में कुछ जुड़ता गया, नाम बदलते गए। लेकिन करोड़ों गरीबों को जो घर देने का लक्ष्य था, जो एक गरिमापूर्ण जीवन देने का लक्ष्य था, वो कभी पूरा ही नहीं हो पाया। कारण ये था कि पहले जो योजनाएं बनी थीं, उनमें सरकार हावी थी, सरकार का दखल बहुत ज्यादा था। उन योजनाओं में मकान से जुड़ी हर चीज का फैसला सरकार करती थी, वो भी दिल्ली से होता था। जिसको उस घर में रहना था, उसकी पूछ ही नहीं थी। अब जैसे शहरों की ही तर्ज पर आदिवासी क्षेत्रों में ही कॉलोनी सिस्टम थोपने की कोशिश होती थी, शहरों जैसे मकान बनाने की ही कोशिश होती थी। जबकि हमारे आदिवासी भाई-बहनों का रहन-सहन शहर के रहन-सहन से बिल्कुल अलग होता है। उनकी जरूरतें अलग होती हैं। इसलिए सरकार के बनाए घरों में उनको वो अपनापन आता ही नहीं था। इतना ही नहीं, पहले की योजनाओं में पारदर्शिता की भारी कमी थी, कई तरह की गड़बड़ियां भी होती थीं। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसलिए उन घरों की क्वालिटी भी बहुत खराब होती थी। ऊपर से बिजली, पानी जैसी मूल ज़रूरतों के लिए लाभार्थी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर अलग से काटने पड़ते थे। इन सबका नतीजा ये होता था कि उन योजनाओं के तहत जो घर बनते भी थे, उनमें जल्दी लोग शिफ्ट ही नहीं होते थे, उनमें गृह प्रवेश ही नहीं हो पाता था।

इंद्रधनुषी स्वरूप है आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना की एक बहुत बड़ी विशेषता है, उसका इंद्रधनुषी स्वरूप। जैसे इंद्रधनुष में अलग-अलग रंग होते हैं वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के भी अपने ही रंग हैं। अब गरीब को सिर्फ घर ही नहीं

मिल रहा है, बल्कि घर के साथ-साथ शौचालय भी मिल रहा है, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन भी मिल रहा है, सौभाग्य योजना का बिजली कनेक्शन, उजाला का एलईडी बल्ब, पानी का कनेक्शन, सब कुछ घर के साथ ही मिल रहा है। यानि प्रधानमंत्री आवास योजना के आधार पर ही अनेक योजनाओं का लाभ लाभार्थी को सीधे मिल पा रहा है। मैं शिवराज जी की सरकार को फिर बधाई दूंगा कि उन्होंने इसको विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ 27 योजनाओं को जोड़ा है।

आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत होता है

साथियों, जब गरीब की, गांव की आय और आत्मविश्वास बढ़ता है तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का हमारा संकल्प भी मज़बूत होता है। इस आत्मविश्वास को मज़बूत करने के लिए गांव में हर प्रकार का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। 2019 के पहले 5 वर्ष शौचालय, गैस, बिजली, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं को गांव तक पहुंचाने का काम किया गया, अब इन मूल सुविधाओं के साथ-साथ आधुनिक सुविधाओं से भी गांवों को मजबूत किया जा रहा है। इसी 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कहा था कि आने वाले 1 हज़ार दिनों में देश के करीब 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा किया जाएगा। पहले देश की ढाई लाख पंचायतों तक फाइबर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, अब इसको पंचायत से आगे बढ़ाकर गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है।

116 जिलों में बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर

इस कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री

गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत ये काम तेजी से चला है। सिर्फ कुछ हफ्तों में ही देश के 116 जिलों में 5 हजार किलोमीटर से ज्यादा का ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है। जिससे साढ़े 12 सौ से ज्यादा ग्राम पंचायतों में करीब 15 वाईफाई हॉट स्पॉट और लगभग 19 हजार ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिए गए हैं। यहां मध्यप्रदेश के भी चुने हुए जिलों में 13 सौ किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। और मैं फिर याद दिलाऊंगा, ये सारा काम कोरोना काल में ही हुआ है, इस संकट के बीच हुआ है। इतने बड़े संकट के बीच हुआ है। जैसे ही गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा तो इससे नेटवर्क की समस्या भी कम हो जाएगी। जब गांव में भी जगह-जगह बेहतर और तेज़ इंटरनेट आएगा, जगह-जगह वाई-फाई हॉटस्पॉट बनेंगे, तो गांव के बच्चों को पढ़ाई और युवाओं को कमाई के बेहतर अवसर मिलेंगे। यानि गांव अब वाई-फाई के ही हॉटस्पॉट से नहीं जुड़ेंगे, बल्कि आधुनिक गतिविधियों के, व्यापार-कारोबार के भी हॉटस्पॉट बनेंगे।

डिजिटल भारत अभियान जीवन बनाएगा आसान

साथियों, आज सरकार की हर सेवा, हर सुविधा ऑनलाइन की गई है ताकि लाभ भी तेज़ी से मिले, करप्शन भी ना हो और गांव के लोगों को छोटे-छोटे काम के लिए भी शहर की तरफ ना भागना पड़े। मुझे विश्वास है कि गांव-गांव ऑप्टिकल फाइबर पहुंचने से इन सेवाओं और सुविधाओं में भी और तेज़ी आएगी। अब जब आप अपने नए घरों में रहेंगे तो डिजिटल भारत अभियान, आपका जीवन और आसान बनाएगा। गांव और गरीब को सशक्त करने का ये अभियान अब और तेज़ होगा, इसी विश्वास के साथ आप सभी साथियों को अपने खुद के पक्के घर के लिए फिर से अनंत शुभकामनाएं। लेकिन याद रखिए, और ये बात मैं बार-बार कहता हूं, जरूर याद रखिए, मुझे विश्वास है आप याद रखेंगे। इतना ही नहीं मेरी बात मानेंगे भी, देखिए जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं, याद रहेगा। दो गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस मंत्र को भूलना नहीं है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे!

इसी कामना के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद! और सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

प्रधानमंत्री जी का लाभार्थियों से संवाद

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने धार जिले के गुलाब सिंह आदिवासी से स्थानीय बोली में संवाद आरंभ किया। उन्होंने हितग्राही श्री गुलाब सिंह की अच्छा घर बनाने के लिए तारीफ की। प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध श्री गुलाब

सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली, तो गुलाब सिंह ने कहा कि मेरा कुछ दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अत: मेरी ओर से मेरा बेटा बात करेगा। श्री गुलाब सिंह के सुपुत्र श्री मेरु ने बताया कि अंचल में प्रचलित हल्मा परंपरा से उन्होंने आवास निर्माण किया है। इसमें गांव के लोग मिलकर मकान बनाने का काम करते हैं और जिसका मकान बन रहा होता है, वह सबको भोजन कराता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस परंपरा की प्रशंसा करते हुए कहा कि शासकीय पहल और सामाजिक सहयोग की यह अनोखी मिसाल है। इसमें गांव के सभी लोगों की दक्षता का उपयोग होता है। यह जीवन को सरल बनाने का व्यवहारिक उपाय है। सरकार भी गरीबों के सपने पूरे करने के लिए इस पद्धति पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्री गुलाब सिंह के आवास पर हुई चित्रकारी की प्रशंसा की। गुलाब सिंह ने बताया कि यह मांडना है जिसे इस अंचल में घर की साज–सज्जा के लिए बनाया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिंगरौली जिले के बैढ़न ग्राम पंचायत गडेरिया के प्यारेलाल यादव से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने श्री यादव से पूछा की गृह प्रवेश के मौके पर खाने में क्या बना है। प्रधानमंत्री ने यह भी पूछा की आवास बनाने में कोई परेशानी तो नहीं आई। कहीं लेनदेन तो नहीं करना पड़ा, बैंक के कितने चक्कर काटे, इस पर श्री यादव ने बताया कि बिना चक्कर काटे समय पर किश्त हमारे खाते में आती रही और मकान बनाने के लिए जरूरी तकनीकी मार्गदर्शन भी मिलता रहा। श्री यादव ने प्रधानमंत्री को बताया कि उन्होंने अपना घर फ्लायी एश (राखड़) की ईंटों से बनाया है। यह किफायती भी रहा और सामान्य ईंट की तुलना में अधिक मजबूत भी है। प्रधानमंत्री ने इस नवाचार की प्रशंसा की और श्री यादव से उनके बच्चों की पढ़ाई–लिखाई की जानकारी भी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर जिले के योजना के हितग्राही नरेन्द्र नामदेव से भी बातचीत की। श्री नरेन्द्र नामदेव ने बताया कि कच्चे मकान में उनके बेटे की सांप के काटने से असामयिक मृत्यु हो गई थी। वो दु:ख बहुत बड़ा था लेकिन आज बहुत खुशी मिल रही है। मैं गांव के बच्चों के लिए गणवेश तैयार करता हूँ मेरी पत्नी भी सिलाई करती है हम लोगों ने जिला पंचायत के माध्यम से 8 दिन का सिलाई प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्री नरेन्द्र को कहा कि आपको चश्मा लगा है इससे मुझे ध्यान आया कि मेरी दादी कहती थी आँखों की कसरत के लिए सुई–धागे का उपयोग करना चाहिए। आप सिलाई कार्य करते हैं जिससे यह कार्य अपने आप हो जाता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्री नरेन्द्र नामदेव के मकान को देखकर पूछा कि दीवारों पर किए गए रंग का चयन किसने किया है? श्री नामदेव ने बताया कि पत्नी अनिता ने यह रंग चुना। नामदेव दंपति ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को घर आने का आमंत्रण भी दिया, जिसके उत्तर में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वे जरूर आएंगे।

मकान बनाने का वार्षिक लक्ष्य पूरा

गृह प्रवेशम् कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के 1.75 लाख लोग आनंद के माहौल में हैं, जिन्हें आवास मिले हैं। प्रदेश में उत्सव का माहौल है। इसके साथ ही अन्य लोग जिनके पास अपना मकान नहीं है, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। हितग्राहियों को योजना में चार किश्तों मे 654 करोड़ की राशि प्रदान की गई। इस वर्ष प्रदेश के वार्षिक लक्ष्य पूर्ण करते हुए 6 लाख मकान बन गए हैं। प्रदेश में 20 लाख के लक्ष्य के मुकाबले योजना के अंतर्गत 17 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। मकान के साथ ही एक रुपये किलो की कीमत पर अनाज देने का कार्य भी किया जा रहा है। देश को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री श्री मोदी का स्वागत है। हर गरीब का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। मध्यप्रदेश के ऐसे 37 लाख लोग जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी, वे अब अनाज प्राप्त करेंगे।

● प्रवीण पाण्डेय

लेखक पत्रकार व स्तम्भकार हैं।

प्रदेश के गांवों में खुशियों को लगे पंख

देश के इतिहास में मध्यप्रदेश ने फिर एक अनूठा इतिहास रचा है। 12 सितम्बर को प्रदेश में 1 लाख 75 हजार आवासों का देश के प्रधानमंत्री द्वारा गृह प्रवेश करवाना प्रदेशवासियों के लिये और हितग्राहियों के लिए अभूतपूर्व क्षण था। जहां सारा देश इस आयोजन का साक्षी रहा, वहीं देश के प्रधानमंत्री द्वारा अपने सपनों के घर की चाबी प्राप्त करना हितग्राहियों के लिए अनोखा अनुभव था।

बैतूल जिले के उडदन गांव की निवासी सुशीला और सुभाष के लिए यह उत्सव का दिन था। गृह प्रवेशम् के अवसर पर सुशीला-सुभाष और उनके परिजनों ने आनन्दित होकर नृत्य भी किया। घोड़ाडोंगरी के ग्राम कान्हावाड़ी निवासी किशन धुर्वे ने बताया कि उनका घर का सपना पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि मोबाइल पर प्रधानमंत्री जी के ऑनलाइन कार्यक्रम को देखकर लगा कि वो हमारे साथ ही हैं। अशोकनगर जिले की जनपद पंचायत चंदेरी के ग्राम पंचायत ललोई टांका के ग्राम धमरासा के खेमा ने बताया कि अपने घर के सपने पूरे होते हैं यह आज हमने खुद देख लिया। हमें अपना घर मिल गया और वो भी प्रधानमंत्री जी ने खुद सौंपा, आज मेरे परिवार की खुशी को शब्दों में बताना मुश्किल है। सागर जिले में गृह प्रवेशम् कार्यक्रम के आनन्द उत्सव को कुछ विशेष तरह मनाया गया।

जिले के जिन 3582 परिवारों ने पक्के मकानों में गृह प्रवेश किया, इनमें 415 प्रवासी मजदूर भी थे। जिले में 1987 हितग्राहियों ने कथा करवायी, 353 ने कन्या भोज करवाया, 653 ने श्रीफल फोड़कर तो 584 ने फीता काटकर गृह प्रवेश किया। प्रधानमंत्री जी द्वारा कराये गये गृह प्रवेशम् के इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल श्रीमती आनन्दीबेन पटेल और अन्य गणमान्यजनों को एक साथ अपने गृह प्रवेश के अवसर पर शामिल हुआ देख लोगों का उत्साह और आनन्द कई गुना बढ़ गया।

मध्यप्रदेश के लिए यह स्वर्णिम पल था, जब देश के प्रधानमंत्री ने सुदूर गांव में बसे ग्रामीणों को उनका घर सौंपा। यह घर उनका सपना, घरोंदा, आशियाना सब कुछ है। इस अभूतपूर्व पल ने प्रदेश के ग्रामीणों की खुशी को मानो पंख लगा दिये।

• विकास तिवारी
लेखक पत्रकार हैं

मध्यप्रदेश में जनकल्याण के लिये अभूतपूर्व कदम

मध्यप्रदेश में जनकल्याण के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिये और उन्हें तुरंत अमल में लाया गया। 23 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना महामारी से प्रदेशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किये। प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की वापसी का प्रबंधन देशभर में सराहा गया है। श्रम सिद्धि अभियान से श्रमिकों का नियोजन, संबल योजना से हर गरीब को संबल, सबके खाद्यान्न की व्यवस्था, किसानों को फसल के समुचित दाम, रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीयन के साथ रोजगार की सुनिश्चितता, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना का अमल, पंच-परमेश्वर योजना के तहत 14वें तथा 15वें वित्त आयोग की राशि प्रेषित कर पंचायतों के माध्यम से गांव-गांव के विकास की सुनिश्चितता तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 75 हजार आवासों के हितग्राहियों का एक साथ गृह प्रवेश करवाना जैसे अभूतपूर्व कार्य किये गये। मध्यप्रदेश में योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर गरीब कल्याण उत्सव का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है मध्यप्रदेश में गरीब कल्याण के लिए किये गये प्रयासों की एक झलक।

- सहरिया, बैगा एवं भारिया जनजाति की 2 लाख 22 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में पूर्व में लगभग 80 करोड़ रुपये तथा पुन: 2 लाख 19 हजार महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक से 21 करोड़ 97 लाख 80 हजार रुपये अंतरित।
- **संबल योजना–** 6 माह में 25 हजार से अधिक हितग्राहियों को 268 करोड़ रुपये की सहायता।
- लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिक एवं निराश्रितों को खाद्यान्न प्रदाय पर 120 करोड़ रुपये, राहत शिविरों के लिए 21 करोड़ रुपये तथा प्रवासी श्रमिकों के परिवहन हेतु 92 करोड़ रुपये का व्यय।
- प्रदेश के इतिहास में पहली बार महिला स्व-सहायता समूहों को 479.44 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत और 343 करोड़ रुपये के ऋण वितरित। यह कार्य 3 महीने की रिकॉर्ड अवधि में संपन्न हुआ।
- **श्रम सिद्धि अभियान–** लगभग 79 लाख 80 हजार श्रमिकों का नियोजन। मजदूरी के रूप में 2400 करोड़ रुपये का भुगतान।
- **पंच-परमेश्वर योजना–** 14वें वित्त आयोग की 1555 करोड़ रुपये और 15वें वित्त आयोग की 996 करोड़ रुपये की राशि जारी।
- **रोज़गार सेतु पोर्टल–** 13 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों तथा 34 हजार 200 से अधिक नियोक्ता पंजीकृत। अब तक 43 हजार 700 से अधिक प्रवासी श्रमिकों की नियुक्ति।
- **प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना–** सर्वाधिक तेजी से क्रियान्वयन। पीएम स्वनिधि योजना-पोर्टल पर देश के कुल 47 प्रतिशत प्रकरणों की स्वीकृति के साथ मध्यप्रदेश शीर्ष पर। अब तक 1 लाख 56 हजार ऋण प्रकरण स्वीकृत।
- प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना की तरह ही राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण पथ-विक्रेताओं को भी 10 हजार रुपये का ब्याज मुक्त ऋण। अब तक 22 हजार से अधिक हितग्राहियों को ऋण वितरित।
- प्रदेश के 25 श्रेणियों के पात्र लगभग 37 लाख नये हितग्राही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूची में शामिल।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितम्बर के अवसर पर प्रदेशव्यापी गरीब कल्याण कार्यक्रम का आयोजन।
- रबी फसलों के लिए 16 लाख किसानों को 3100 करोड़ रुपये की फसल बीमा राशि का भुगतान।
- फसल बीमा योजना को खरीफ 2020-21 से रबी 2021 तक लागू करने का अनुमोदन।
- शासकीय प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत 60 लाख और शासकीय माध्यमिक शालाओं में 26 लाख विद्यार्थियों तथा 02 लाख रुपये रसोइयों के खातों में कुल 347 करोड़ रुपये की राशि अंतरित। अगस्त माह में पुनः बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ते की

137 करोड़ 66 लाख की राशि तथा मध्यान्ह भोजन के 2 लाख 10 हजार रसोइयों को 42 करोड़ रुपये की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित।

- जे.ई.ई. मेन्स तथा नीट-2020 की परीक्षा के लिए इच्छुक परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक लाने तथा वापस ले जाने के लिए नि:शुल्क परिवहन सुविधा का 25 हजार से भी अधिक विद्यार्थियों ने लिया लाभ।
- 1 करोड़ 29 लाख 34 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ का उपार्जन कर देश में सर्वाधिक गेहूँ उपार्जन का कीर्तिमान।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- उद्यानिकी फसलों को भी रबी 2020-21 से रबी 2022-23 के लिए सम्मिलित करते हुए क्रियान्वयन।
- महिला सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन के लिए जीवन-शक्ति योजना।
- प्रवासी श्रमिकों के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किये गए प्रबंधन की देशभर में सराहना। प्रदेश में कुल 14 लाख 98 हजार प्रवासी श्रमिक परिवार वापस आये। जिलों में श्रमिकों के लिये भोजन, अस्थायी आवास, चिकित्सा जांच और परिवहन की व्यवस्था। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को प्रदेश वापस लाने और दूसरे प्रदेशों में भेजने पर लगभग 150 करोड़ रुपये व्यय।
- **राष्ट्रीय जल जीवन मिशन-** 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएँ स्वीकृत। ग्रामीण क्षेत्र के 26 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन का लक्ष्य।
- **वोकल फॉर लोकल-** 53 हजार 600 से अधिक स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 03 से 06 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को रेडी-टू-ईट पूरक पोषण आहार।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 8 हजार 241 हितग्राहियों को 82 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में अंतरित।

मध्यप्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये विशेष प्रयास किये गये। आजीविका मिशन के तहत निर्मित लगभग 3 लाख महिलाओं को स्व-सहायता समूह से जोड़ा गया। ये समूह आजीविका और स्वावलंबन की दिशा में अनुकरणीय उदाहरण है। समूह की महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिये प्रदेश के इतिहास में पहली बार महिला स्व-सहायता समूहों को 479.44 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत और 343 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के एक लाख 78 हजार 417 हितग्राहियों को कुल 451 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित।
- **अटल भू-जल योजना-** बुन्देलखण्ड अंचल के 6 जिलों के 9 विकासखण्डों के भू-जल स्तर में सुधार का निर्णय। योजना के लिए 314 करोड़ 54 लाख रुपये स्वीकृत।
- गरीबों, श्रमिकों, किसानों और अन्य पात्र हितग्राहियों के खातों में 24 विभागों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत 40 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित।
- कोरोना लॉकडाउन में प्रदेश के 97 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बिजली बिलों में 623 करोड़ रुपये से अधिक की राहत।
- वर्ष 2018 में हुए कार्यों के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस-2019 रैंकिंग में मध्यप्रदेश देश में चौथे स्थान पर।
- कोविड संक्रमित मरीजों के स्वस्थ्य होने की दर (रिकवरी रेट) लगभग 74% हुई।
- अब 78 प्रयोगशालाओं के साथ टेस्टिंग क्षमता बढ़कर 18 हजार टेस्ट प्रतिदिन।
- **आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश-** प्रदेश में 362 आयुष वेलनेस सेंटर और 45 नवीन आयुष ग्राम की स्थापना की स्वीकृति।
- **मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना-** अब तक 20 कोविड योद्धाओं के परिवारों को सहायता।
- चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड पॉजिटिव मरीज की चिकित्सा तथा देखभाल के लिए प्रतिमाह 10 हजार रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय।
- कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि।
- प्रदेश व्यापी 'एक मास्क-अनेक जिन्दगी' अभियान के तहत अब तक 02.50 लाख से अधिक मास्क वितरित।
- इन्दौर नगर में 237 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 402 बिस्तरीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लोकार्पित।
- इन्दौर-पीथमपुर इन्वेस्टमेंट रीजन में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय।
- पीथमपुर औद्योगिक निवेश सेक्टर 4 तथा 5 का 586 हेक्टेयर जमीन पर 550 करोड़ रुपये की लागत से दो चरणों में विकास।
- बल्क ड्रग पार्क की स्थापना को स्वीकृति।
- होशंगाबाद-बाबई-मोहसा में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का निर्णय।

गांवों में विकास की तस्वीर बदलने वाले पंचायत प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री का सीधा संवाद

किसी भी प्रदेश के विकास की तस्वीर में ग्रामीण क्षेत्र का विशेष योगदान होता है। मध्यप्रदेश सरकार भी लगातार ग्रामीण विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग लगातार नई योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य करवा रहा है। देखा जाए तो देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है ऐसे में इन गांवों की तस्वीर बदलने का दायित्व पंचायत प्रतिनिधियों का होता है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में क्या और कैसे बदलाव लाना है इन सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जिला एवं जनपद स्तरीय कार्य योजना बनाए जाने पर प्रतिनिधियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने 15वें वित्त आयोग अनुदान की 996 करोड़ की राशि, पंचायतों को सिंगल क्लिक से ई-ट्रांसफर की।

इस अवसर पर श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कोरोना काल में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा की गई व्यवस्थाओं और कार्यों के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि गांवों की तस्वीर बदलने का दायित्व पंचायत प्रतिनिधियों का है। राज्य सरकार इन कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होने देगी। पंचायत प्रतिनिधि विकास कार्यों का पूरी प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और ईमानदारी से संचालन करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिला व जनपद पंचायतें एनआईसी से तथा सभी ग्राम पंचायतों को वेब लिंक के माध्यम से जोड़ा गया था।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव, संचालक पंचायत राज श्री बी.एस. जामोद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पेयजल और स्वच्छता से जुड़े कार्य हों

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पंच-परमेश्वर योजना के अंतर्गत प्राप्त 996 करोड़ रुपये पंचायतों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे पेयजल और स्वच्छता से संबंधित कार्य कराये जाना है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक पंचायतों को 15वें वित्त आयोग से 3984 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इससे गांवों की तस्वीर बदलेगी। इस मौके पर बताया गया कि कुल राशि का 85 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 10 प्रतिशत जनपद पंचायत और 5 प्रतिशत जिला पंचायतों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

वरदान सिद्ध हुई पंच-परमेश्वर योजना

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पंच-परमेश्वर योजना गांवों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। इससे ग्राम पंचायतों ने पेयजल, जल संरक्षण, अधोसंरचना निर्माण और कोरोना महामारी से बचाव के लिए सेनेटाइजर, मास्क, प्रवासी श्रमिकों की भोजन व्यवस्था, आश्रय तथा अन्य प्रशासनिक कार्य संचालित किए हैं।

श्री चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना, पात्रता पर्ची तथा खाद्यान्न वितरण की तैयारियों और संबल योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी भी ली।

जरूरी निर्माण कार्य करा सकेंगी पंचायतें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पंचायतों को उपलब्ध कराई जा रही राशि से पंचायतें सामुदायिक स्वच्छता परिसर, पेयजल कूप, नल-जल संबंधी कार्य, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, साफ-सफाई व स्वच्छता के कार्य और जल संरक्षण संबंधी निर्माण कार्य करा सकेंगी।

पंचायत मासोद के सरपंच श्री भास्कर मगरदे से भी चर्चा की। उन्होंने रोजगार दिलवाने के प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मासोद में भारत माता मंदिर निर्माण की सराहना की।

- सागर जिले के जैसीनगर जनपद पंचायत के गेहुंरास बुजुर्ग पंचायत की प्रधान श्रीमती हेमलता सिंह ने बताया कि ग्राम के युवा बुदनी की फैक्ट्री में प्रशिक्षण के लिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस ग्राम पंचायत की महिला सदस्यों से भी चर्चा की। उन्होंने कहा आपको पर्याप्त राशि प्रदान की जाएगी, परिश्रम से कार्य करें।
- जिला पंचायत मुरैना की प्रधान श्रीमती गीता देवी ने जल संरक्षण प्रयासों का विवरण दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि मास्क निर्माण से ग्रामीण महिलाओं ने आय अर्जित की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा स्व-सहायता समूह ड्रेस तैयार करने का भी कार्य करें। श्रीमती गीता देवी ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि जिले में स्ट्रीट वेंडर्स के पंजीयन का कार्य बड़े पैमाने पर करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जैव विविधता का प्रथम पुरस्कार मुरैना को मिलने पर बधाई भी दी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से सीधी चर्चा भी की

- मुख्यमंत्री श्री चौहान को नरसिंहपुर की चावर पाठा जनपद पंचायत की सडूमर पंचायत की प्रधान सुश्री मोना कौरव ने बताया कि गांव में गौशाला का विकास किया है। पंचायत में पांच करोड़ से अधिक के कार्य किए गए हैं। स्मार्ट पंचायत के निर्माण की पहल हुई है। स्वास्थ्य केंद्र की शकल बदल गई है। आयुष विभाग सक्रिय हो गया है। मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जवाब में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि आप सभी में बदलाव की तड़प होना चाहिए। सुश्री मोना ने बताया कि ग्राम की प्राचीन हवेली और तालाब के संरक्षण की भी पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके लिए पंचायत की सराहना की और बधाई दी।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैतूल के ग्राम

• प्रवीण पाण्डेय
लेखक पत्रकार व स्तम्भकार हैं।

मनरेगा के कार्य, वनोपज की आमदनी ने किया कमाल
कोरोना काल में भी मजबूत रही आदिवासी समाज की अर्थव्यवस्था

विश्व के नक्शे में चमचमाता पर्यटन स्थल पातालकोट कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के बाद भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ अपनी जनजातीय जीवन शैली के बल पर आर्थिक मजबूती के साथ खड़ा रहा। कोरोना आपदा के दौर में भी आदिवासियों की जीवटता का यह मामला अपने आप में मिसाल है। वनोपज और कृषि आमदनी के साथ ही मनरेगा की कमाई ने क्षेत्र के आदिवासियों की आर्थिक मजबूती इस महामारी के बीच भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कुल मिलाकर कहा जाए तो लॉकडाउन के दौरान जहां पूरी दुनिया आर्थिक संकट का सामना कर रही थी वहीं इस दौरान पातालकोट के आदिवासी परिवार पहले से और बेहतर स्थिति में आ गये हैं।

पातालकोट इलाके के 12 ग्रामों में कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन से होने वाले आर्थिक नुकसान का असर ग्रामीणों पर यदि नहीं पड़ा है तो इसका सीधा-सीधा कारण इनकी जीवन शैली के साथ-साथ सरकार की मनरेगा योजना का इसमें बड़ा हाथ रहा है। दरअसल जनजातीय समाज के लोगों की आय मुख्य रूप से वनोपज और कृषि के साथ-साथ सरकार की योजना मनरेगा की मजदूरी से होती है। लॉकडाउन के दौरान जहां शहरों में कामकाज पूरी तरह बंद था, वहीं इन ग्रामीण आदिवासियों की दिनचर्या खेत सहित अन्य कामकाज यथावत रहे। कोरोना के बीच अनलॉक के समय में मिले मनरेगा के कार्य ने पैसे की कमी को पूरी तरह दूर कर दिया।

हाट बाजार बंद होने का भी नहीं पड़ा असर

पातालकोट के ग्रामीण आदिवासी अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान ग्रामीण इलाकों में लगने वाले हाट बाजारों से खरीदते हैं। लॉकडाउन के पहले चरण में तामिया, छिंदी देलाखारी अंखावाड़ी लोटिया में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार बंद हो गए जिसके कारण उन्हें कुछ परेशानी हो सकती थी लेकिन मार्च महीने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सहकारी समिति की राशन दुकानों से दिए गए एकमुश्त तीन माह के राशन ने इस परेशानी को पूरी तरह दूर कर दिया।

मनरेगा ने दिया संबल

लॉकडाउन के दौरान मनरेगा से मिला रोजगार और तेंदुपत्ता संग्रहण जैसे शासकीय काम में तेजी आना स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज का वितरण एवं मध्यप्रदेश शासन की योजना के तहत पिछड़ी जनजाति भारिया परिवारों की महिलाओं को कुपोषण मुक्ति के लिये मिलने वाली प्रतिमाह एक हजार की राशि ने पूरी राहत देने का काम किया है। कुल मिलाकर आपदा को अवसर में बदलने का प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र लॉकडाउन में छिंदवाड़ा के ग्रामीण अंचल तामिया में धरातल पर नजर आया। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश की अगुवाई में स्थानीय और

प्रवासी मजदूरों को काम पर लगवाकर उन्हें आर्थिक रूप से खड़ा किया गया। इस दौरान गांवों में मेड़ बंधान तालाबों पर जमकर काम हुआ तामिया में लॉकडाउन के बाद अब तक एक हजार 420 प्रवासी मजदूर वापस लौटे इनमें से 870 मजदूरों को काम पर लगाया गया जिनसे 16 हजार चालीस मानव दिवस सृजित कर कार्य कराये गये। वहीं इन मजदूरों को 30 लाख 47 हजार की राशि खाते में दी गई है। तामिया में मनरेगा में कुल मिलाकर 16 हजार 899 परिवारों के 27 हजार 494 मजदूरों को रोजगार मिला इस दौरान 5 लाख 42 हजार 387 मानव दिवस सृजित हुए अब तक इन मजदूरों को 8 करोड 80 लाख 21 हजार रुपये का भुगतान हुआ है

वनोपज संग्रहण से मिली कीमत से हुए मजबूत

लॉकडाउन के दौरान वनोपज संग्रहण से मिली कीमत इन आदिवासियों के लिए वरदान साबित हुई। दरअसल लॉकडाउन के पूर्व कामकाज के लिये प्रत्येक परिवार के एक या दो सदस्य को छोड़कर सभी काम करने के लिए शहरों की ओर चले जाते थे। ऐसे में वनोपज संग्रहण का काम घर में ही मौजूद कुछ सदस्य ही कर पाते थे लेकिन लॉकडाउन के दौरान सभी सदस्यों के घर में ही रहने के कारण इस बार वनोपज संग्रहण का कार्य तेजी से किया गया। देखते ही देखते पातालकोट के सिर्फ 12 ग्रामों में करोड़ों का व्यवसाय हुआ। लॉकडाउन की अवधि में ऐसा मौका भी पहली बार आया जब व्यापारियों के पास वनोपज खरीदने के लिये धन की कमी हो गयी।

पातालकोट क्षेत्र में एक नजर

पातालकोट मध्यप्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड में पातालकोट क्षेत्र के अंतर्गत 12 ग्रामों में भारिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसके लिये पातालकोट भारिया विकास अभिकरण की स्थापना 26 जून 1978 में की गई थी। पातालकोट के 12 ग्रामों के समूह को पातालकोट कहा जाता है जहां तीन ग्राम पंचायत हर्राकछार, रातेड़, कारेयाम, घटलिंगा में कुल 12 ग्राम और मजरे-टोले शामिल हैं। पातालकोट के ग्रामों में कारेयाम रातेड, चिमटीपुर, हर्राकछार, जढमादल, सहरापंचगोल, धुरनीमालनी, सूखाभंड हारमऊ, पलानीगैलडुब्बा, घानाकौड़िया, घटलिंगा, गुडीछतरी, दौरियापाठा प्रमुख हैं जिसमें 32 ढाने मंजरे टोले शामिल हैं। पातालकोट की नैसर्गिक संरचना 1200 से 1500 फीट गहराई लिये हुए विस्तृत घाटियों का मनोरम भू-भाग है जो सतपुड़ा पर्वत की परतदार ऊँची किलेनुमा श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है । यह अद्वितीय विहंगम स्थल जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा से उत्तर पश्चिम की और 62 किलोमीटर तथा तामिया से पूर्व उत्तर की और 23 किलोमीटर पर बिजौरी से हर्रई मार्ग के पास स्थित है। पातालकोट का भौगोलिक क्षेत्रफल 79 वर्ग किलोमीटर है तथा समुद्र सतह से इसकी औसत ऊंचाई 3250 से 2750 के मध्य है। पातालकोट के समीपस्थ ग्राम सूखाभंड के निकट सतपुड़ा पर्वत सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र सतह से 3750 फीट ऊंची है। यहां की जनसंख्या अनुमानित ढाई हजार है आदिवासियों में भारिया तथा गोंड है। जो पातालकोट के बारह ग्रामों में निवास करते हैं।

वनोपज की आमदनी और मनरेगा के कार्य से खरीदीं रिकॉर्ड मोटरसायकिलें

लॉकडाउन के कारण आवागमन के साधन नहीं होने तथा वनोपज की आमदनी व मनरेगा के कार्य से मिली आर्थिक मजबूती से आदिवासी बहुल इलाके तामिया में 18 मई से अगस्त के पहले सप्ताह तक मोटर सायकिल की बिक्री ने रिकॉर्ड पार कर लिया है। यहां आटोमोबाइल कंपनियां दशहरा व दीपावली पर ही बड़ा व्यवसाय करते थे, लेकिन विगत मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद मिली छूट के बीच मोटरसायकिलों की बिक्री में जोरदार इजाफा हुआ है। आंकड़ों की माने तो तामिया में इस दौरान रिकॉर्ड 538 से अधिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि यह वाहन सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में बिके हैं।

● **नितिन दत्ता**, तामिया छिंदवाड़ा
लेखक संवाददाता तथा स्तम्भकार हैं।

घरेलू नल कनेक्शन से जलापूर्ति की हो रही कारगर पहल

सभी के घर नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति हो और किसी को अपनी जरूरत अनुसार जल के लिए यहाँ–वहाँ नहीं जाना पड़े इसके लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पूरी तत्परता से ग्रामीण क्षेत्र के लिये पेयजल की सुदृढ़ व्यवस्था पर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर, मुरैना तथा सागर संभाग के 11 जिलों के लिए ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना में 2 अरब 52 करोड़ 80 लाख 39 हजार रुपये की (रेट्रोफिटिंग अन्तर्गत) स्वीकृति जारी की गई है।

ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना में ग्वालियर की 28, गुना की 10, अशोकनगर की 25 एवं शिवपुरी की 9 जल संरचनाएँ, मुरैना की 46 एवं भिण्ड जिले की 5 जल संरचनाएँ तथा सागर की 10, दमोह की 42, पन्ना की 25, छतरपुर की 16 एवं टीकमगढ़ की 29 जल संरचनाओं को शामिल किया गया है।

योजना में शामिल सभी ग्रामों में पूर्व में निर्मित पेयजल अधोसंरचना के उपयोगी अवयवों को शामिल करते हुए जल संरचनाओं पर क्रियान्वयन किया जाना है। सभी 245 जल संरचनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद इनकी डिजाइन एवं ड्राइंग तैयार करवायी जाएगी। इन ग्रामीण नल–जल प्रदाय योजनाओं पर विभाग की जिला इकाइयों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है।

दतिया में ग्रामीण पथ–विक्रेता ऋण वितरण कार्यक्रम

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले के ग्राम सिनावल में 24 सितम्बर को मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ–विक्रेता योजना अंतर्गत जिले के 689 ग्रामीण पथ–विक्रेताओं को ऋण वितरण प्रमाण–पत्र वितरित किये। उन्होंने ग्राम सिनावल में एक करोड़ 10 लाख 41 हजार के विभिन्न निर्माण कार्यों की सौगात भी दी।

डॉ. मिश्रा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार स्व–रोजगार को बढ़ावा देने के लिये निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ग्रामीण पथ–विक्रेताओं को 10–10 हजार रुपये की राशि बिना ब्याज के उपलब्ध कराई जा रही है। इस राशि से उन्हें अपना व्यवसाय करने में आवश्यक मदद मिल सकेगी। डॉ. मिश्रा ने ग्राम सिनावल में चारागाह निर्माण, सुदूर सड़क निर्माण, पंचायत भवन निर्माण, पहुँच रोड निर्माण, सी.सी. रोड निर्माण, पानी की टंकी और प्राथमिक विद्यालय की बाउण्ड्रीवॉल सहित विभिन्न कार्यों के लिये एक करोड़ 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है।

ग्रामीण पथ विक्रेता होंगे आत्मनिर्भर

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे–छोटे व्यवसाय करने वाले ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत 10–10 हजार रुपये का ऋण बिना ब्याज दिया जा रहा है, ताकि उनकी जीविका सुचारु रूप से चल सके। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इंदरसिंह परमार ने शुजालपुर के सामुदायिक भवन में गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत ऋण वितरण समारोह में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे–छोटे व्यवसायियों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक वर्ष के लिए 10–10 हजार रुपये का बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारम्भ कर कोरोना जैसी महामारी को भी अवसर में बदलने का कार्य किया है।

योजना के तहत शुजालपुर के 65, कालापीपल क्षेत्र के 81, मो. बड़ोदिया के 67, शाजापुर के 10, गुलाना के 34 इस प्रकार कुल 257 पथ विक्रेताओं को 10–10 हजार रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है। इस योजना के तहत कुल 426 पथ विक्रेताओं का पंजीयन हुआ है, जिन्हें ऋण स्वीकृत कर वितरित किये जायेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों के घर का सपना साकार

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने रायसेन स्थित वन परिसर में रायसेन नगर पालिका परिषद के तहत 55 लाख रुपये के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया तथा पीएम आवास योजना के तहत 208 हितग्राहियों के खाते में सिंगल क्लिक से 197.50 लाख रुपये अंतरित किए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों के स्वयं के पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि वीरांगना रानी अवन्ती बाई लोधी भारत की महान वीरांगना थीं जिन्होंने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों से लोहा लिया था और मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि नगर के सागर भोपाल तिराहा पशु चिकित्सालय परिसर में 25.49 लाख रुपये की लागत से वीरांगना रानी अवन्ती बाई लोधी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में कमजोर वर्ग के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के पथ विक्रेता बिना किसी परेशानी के अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकें इसके लिए 10 हजार रुपये का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के कमजोर वर्ग के 37 लाख लोगों को नवीन खाद्यान्न पात्रता पर्ची प्रदान की गई जिससे उन्हें भी उचित मूल्य पर राशन मिलने लगा है। इनमें जिले के 76 हजार से अधिक नवीन पात्र हितग्राहियों को भी उचित मूल्य राशन मिलने लगा है। प्रदेश के 13 हजार स्व–सहायता समूहों से जुड़े एक लाख 30 हजार से अधिक जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को 200 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है।

प्रदेश की विकसित पंचायत कोदरिया

ग्राम पंचायत कोदरिया इन्दौर जिले की महू तहसील मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी पंचायतों में से एक है। लगभग 25 हजार आबादी वाली इस पंचायत में एक ही ग्राम कोदरिया शामिल है।

एक समय था जब इस पंचायत में कई समस्याएं थीं, बुनियादी सुविधाओं की भी समस्या थी। आज इस पंचायत में सभी सुविधाएं हैं। गांव पूर्ण शौचालययुक्त है। अच्छी सड़कों से समृद्ध सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ शासकीय योजनाओं का शत–प्रतिशत क्रियान्वयन हो रहा है। यह सब संभव हुआ है, कोदरिया की सरपंच श्रीमती अनुराधा जोशी की मेहनत, लगन और समर्पित भाव से अपनी पंचायत के लिए निरन्तर कार्य करने से।

जब हमने पंचायत कार्यों को लेकर अनुराधा से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं वर्ष 2015 में सरपंच बनी तभी से मेरे मन में अपनी ग्राम पंचायत के विकास का खाका तैयार था। चूंकि मैं पहले से गांव की समस्याओं को जानती, समझती थी तो मुझे कार्य शुरू करने में समय नहीं लगा। मैंने सबसे पहले मूलभूत कार्य अधोसंरचना, सड़क और पेयजल के पूर्ण किये। सम्पूर्ण गांव में शौचालय का निर्माण करवाने के साथ उसके उपयोग को भी सुनिश्चित किया, यही नहीं हमने कचरा प्रबंधन को लेकर भी सक्रिय रूप से कार्य किया और ग्रामीणों को रोजगार से भी जोड़ा। सही समय पर सभी कार्यों के समुचित नियमन से हमारी पंचायत प्रदेश की पहली आई.एस.ओ. पंचायत बनी।

अनुराधा ने बताया कि हमने अपनी पंचायत में कई नवाचार किये। उसमें प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ पेयजल आह्वान से प्रेरणा लेकर हमने अपने ग्राम में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराया। कोदरिया पंचायत में हमने आर.ओ. वॉटर फिल्टर लगवाया, जिसके द्वारा ग्रामीणों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध रहता है। यहां के लोगों को आर.ओ. पानी 5 रुपये प्रति 10 लीटर में प्राप्त हो जाता है। अति उत्साहित होकर अनुराधा ने बताया कि आर.ओ., ए.टी.एम. से ग्रामीणों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करवाने के इस नवाचार को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी द्वारा रेडियो कार्यक्रम 'दिल से' में भी सराहा गया है।

महिला स्वावलम्बन के लिये पंचायत द्वारा क्या कार्य किये गये, यह पूछने पर अनुराधा ने बताया कि हमने महिलाओं को रोजगार देने और आत्मनिर्भर करने के लिए पूरा उद्यम केन्द्र शुरू किया है।

हमने स्व–सहायता समूह की महिलाओं को साथ लेकर ''उड़ान सेनेटरी पेड'' उद्यम की शुरुआत की। इससे जहां गांव की महिलाओं द्वारा सेनेटरी नेपकिन के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम से बचाव हुआ, वहीं इस व्यवसाय से प्राप्त लाभ से महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न हुईं।

हमने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अन्य प्रकल्प भी खड़े किये। गांव की महिलाओं को अचार, मुरब्बा, पापड़, सिलाई, कढ़ाई, मेहन्दी, चूड़ी बनाना, ब्यूटी पार्लर आदि के निःशुल्क प्रशिक्षण दिलवाये। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें व्यवसाय खोलने में मदद की। आज गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गई हैं। अनुराधा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के प्रयासों के अलावा महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने का भी प्रयास किया। उन्होंने इन्दौर के डी.आई.जी. श्री हरिनारायणचारी मिश्रा के साथ महिलाओं और बालिकाओं का ''टॉक शो'' करवाया, इससे उनकी झिझक टूटी, उन्हें जानकारी मिलने के साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा।

गांव के स्कूल की छात्राओं का हौसला बढ़ाने के लिए अनुराधा ने उन्हें महू शहर की टॉकीज में ले जाकर दंगल फिल्म दिखाई, ताकि वे प्रेरित हो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। अनुराधा ने बताया कि हमने बच्चियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विभिन्न स्कूलों में वेन्डिंग मशीन लगाकर छात्राओं को उड़ान नेपकिन पेड उपलब्ध कराया।

अनुराधा ने बताया कि हमने अपनी पंचायत को स्वच्छता के साथ सुंदर बनाने का भी प्रयास किया है। इसके लिए हमने गांव के पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपवन, शिवाजी वाटिका और मुक्तिधाम में सौन्दर्यीकरण के लिए कार्य किया।

गांव को कीचड़ मुक्त कर पानी की समुचित निकासी के लिए गांव के मुख्य मार्ग के अलावा तेजाजी मोहल्ला, टोली टेकर, देसवाली मोहल्ला, पाटीदार स्कूल रोड, नारायण कॉलोनी, लिंक रोड, कृष्णमुरारी माजदा पार्क, केशव नगर, सुख सागर, शताब्दीपुरम, श्रद्धा पैलेस आदि क्षेत्रों में सी.सी. रोड व नालियों का निर्माण कर गांव को एक आदर्श कस्बे का स्वरूप देने की कोशिश की है। ताकि हमारा गांव स्वच्छ, सुंदर, विकसित लगे और यहां के ग्रामीण स्वस्थ रहें।

अनुराधा ने बताया कि हमने गांव में पेयजल की आपूर्ति के लिए नई पाइप लाइन डलवाई है और सभी बिजली के खम्बों को एल.ई.डी. बल्ब से रोशन कर दिया है।

सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण कार्य करने में भी कोदरिया पंचायत की लम्बी सूची है। अनुराधा ने बताया कि हमने गांव में खारोल ओढ समाज और कुनबी पटेल समाज के लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण, पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण, 14 लाख की लागत से स्कूल भवन का निर्माण करवाया। आदिवासी समाज के लिए 8 हजार स्क्वायर फीट का आदिवासी परिसर उपलब्ध करवाया। जिसमें विवाह अथवा अन्य मांगलिक कार्यों के लिए भवन का भी निर्माण किया गया है।

अपनी पंचायत के विकास और नवाचार के लिए समर्पित अनुराधा के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर विविध मंचों पर सराहा भी गया और उन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए।

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद जी के समक्ष ईश्वरीगंज कानपुर में ''स्वच्छता ही सेवा है'' कार्यक्रम में अपना उद्बोधन देने वाली सम्पूर्ण देश से एकमात्र सरपंच अनुराधा जोशी थीं, जिन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष मंच से अपनी पंचायत की बात की। अपने अनुभव साझा किए। कोदरिया पंचायत को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मण्डला में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान कर 15 लाख की राशि पुरस्कार स्वरूप ग्राम के विकास के लिए

प्रदान की। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली इन्दौर जिले की एकमात्र पंचायत व सरपंच हैं। भोपाल में आयोजित उत्कर्ष सरपंच सम्मेलन में केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री पुरुषोत्तम कपाला व तत्कालीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने सरपंच अनुराधा जोशी को ''उत्कर्ष सरपंच'' के पुरस्कार से सम्मानित किया। दिल्ली हैदराबाद आदि देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाली पंचायत एवं ग्रामीण विकास की कार्यशालाओं में सरपंच अनुराधा जोशी ने मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और अपने कार्य तथा उपलब्धियों को बताया।

चित्रकूट में आयोजित पंचायतों की आय ''स्व-कराधान'' पर आयोजित कार्यशाला में अपनी पंचायत की स्व-कराधान की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उल्लेखनीय है कि कोदरिया पंचायत द्वारा स्व-कराधान को लेकर विशेष कार्य किये हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा सरपंच अनुराधा जोशी को 10 दिवसीय दक्षिण भारत की पंचायतों के विकास कार्यों को देखने के लिये भेजा। वहां से प्रभावित होकर अनुराधा ने अपनी पंचायत में दो स्वच्छता वाहन से घर-घर से कचरा संग्रहित कर पंचायत के अपने सेग्रिगेशन शेड में डालना प्रारम्भ किया। अनुराधा ने बच्चों के पोषण को लेकर भी कार्य किया है। उन्होंने समय-समय पर आंगनवाड़ी में जाकर बच्चे कुपोषित ना हों इसका विशेष ध्यान रखा। बच्चों को गुड़, चिक्की आदि का वितरण किया।

सम्पूर्ण प्रदेश में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में कोदरिया पंचायत अग्रणी पंचायत है। कोरोना संकट में भी पंचायत ने उल्लेखनीय कार्य कर अपनी पंचायत में कोरोना संक्रमण न फैले इसका विशेष ध्यान रखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर ''गरीब कल्याण सप्ताह'' मनाया गया था, उसमें भी ग्राम पंचायत कोदरिया ने राशन की पात्रता पर्ची के लिये 1238 परिवारों को राशन पर्चियों का वितरण किया। साथ ही 67 लघु कृषकों को कृषक कल्याण योजना से जोड़ा। 27 परिवारों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता में शामिल करवाये, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके।

● संध्या पाण्डेय

लेखक स्तम्भकार हैं

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/3214/एसआरएलएम/2020 **भोपाल, दिनांक 28.07.2020**

प्रति,

संयोजक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स
भोपाल

विषय : मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पथ विक्रेता व्यवसायियों को रुपये 10,000 तक बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराने में सहयोग करना, नियमित ऋण वापसी को प्रोत्साहित करना तथा उद्यमियों को व्यापार व्यवसाय में, प्रशिक्षण में सहयोग देना है। योजना में राज्य शासन द्वारा प्रति हितग्राही को रुपये 10,000/– तक के ऋण पर 14 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

योजना में विभिन्न प्रकार के व्यवसायी जैसे– आईसक्रीम, फल, समोसा/कचोरी, ब्रेड–बिस्किट, मुर्गी–अंडे, कपड़ा, छोटे बर्तन, जूते–चप्पल, झाड़ू, केश शिल्पी, हाथठेला चालक, कुम्हार, सायकल/मोटर सायकल रिपेरिंग, बढ़ईगिरी, कुम्हार, ग्रामीण शिल्पी, बुनकर, धोबी, टेलरिंग, कर्मकार मण्डल से संबंधित व्यवसाय आदि से संबंधित व्यवसायी/सेवा प्रदाता सहित अन्य इस प्रकार के कार्य करने वाले व्यवसायी सम्मिलित होंगे।

योजना को राज्य शासन की क्रेडिट गारंटी रहेगी। इस योजना के पात्र हितग्राहियों को स्टाम्प ड्यूटी के प्रयोजनों से विमुक्त रखा गया है।

योजना की अवधि माह जुलाई 2022 से 31 मार्च 2020 तक है। योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे। प्रकरणों का निराकरण 15 दिवस में किया जाए। योजना की क्रियान्वयन मार्गदर्शिका संलग्न है।

कृपया आपकी ओर से योजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए योजना को Priority Sector Lending में सम्मिलित कर संबंधित बैंकों को तत्काल क्रियान्वयन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 3215/एसआरएलएम/2020 **भोपाल, दिनांक 28.07.2020**

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. संचालक, संस्थागत वित्त, भोपाल।

4. संचालक, पंचायत राज संचालनालय, भोपाल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन/फोरम, भोपाल।
6. कलेक्टर, समस्त मध्यप्रदेश।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त मध्यप्रदेश।
8. वित्तीय सलाहकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विंध्याचल भवन, भोपाल।
9. जिला परियोजना प्रबंधक, म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला-समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. गार्ड फाइल।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना

प्रस्तावना :

1. **पथ विक्रेता-** स्ट्रीट वेंडर (व्यवसायी) ग्रामीण अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। इनके द्वारा अनेक प्रकार की सामग्री एवं सेवाएं उचित मूल्य पर ग्रामीण जन को उनके घर तक उपलब्ध कराई जाती हैं। इन्हें रेहड़ी वाला, साइकिल वाला, ठेले वाला आदि कई प्रकार के नामों से जाना जाता है। इनके द्वारा सामग्री में आईसक्रीम, फल, समोसा/कचोरी, ब्रेड-बिस्किट, मुर्गी-अंडे, कपड़ा, छोटे बर्तन, जूते-चप्पल, झाड़ू आदि विक्रय किए जाते हैं। इन व्यवसायी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में नाई का कार्य, औजारों का सुधार आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

   कोविड-19 महामारी के कारण हुई तालाबंदी की वजह से इन व्यवसायियों की आजीविका पर अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ा है। यह अत्यंत कम पूंजी से कार्य करते हैं और इस अवधि इस पूंजी का उपभोग कर लिया गया होगा। अतः आवश्यक है इन व्यवसायियों को व्यापार प्रारंभ करने हेतु तत्काल कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाए।

2. **उद्देश्य :**

   यह एक राज्य पोषित योजना होगी जिसके निम्नांकित उद्देश्य हैं :-

   (क) रुपये 10,000 तक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
   (ख) नियमित ऋण वापसी को प्रोत्साहित करना।
   (ग) उद्यमियों को व्यापार व्यवसाय में प्रशिक्षण में सहयोग।

3. **कार्य क्षेत्र :** यह योजना मध्यप्रदेश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगी।
4. **व्यवसायी प्रकार :** ग्रामीण गरीब वर्ग के लघु व्यापारी।
5. **अर्हता :** योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के पात्र उद्यमियों एवं प्रवासी श्रमिकों के लिए देय होगा। जिनकी-

   (क) आयु : 18-55 वर्ष
   (ख) शैक्षणिक योग्यता : कोई बंधन नहीं
   (ग) आय श्रेणी : प्रदेश के प्रवासी श्रमिक/SECC 2011 के वंचित परिवार/ग्राम पंचायत सर्वेक्षण के पात्र परिवार/आजीविका मिशन या तेजस्विनी समूह सदस्य अथवा समूह परिवार के सदस्य राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन के अन्त्योदय/प्राथमिक परिवार का सदस्य (पीडीएस कार्ड धारी)।
   (घ) जाति/वर्ग : कोई बंधन नहीं।

6. **वित्तीय प्रावधान :**

   (i) परियोजना लागत : रुपये 10,000 (बैंक से ऋण)
   (ii) ब्याज अनुदान : मध्यप्रदेश शासन द्वारा 14 प्रतिशत तक का ब्याज अनुदान का व्यय किया जायेगा। यह राशि समय पर एवं

नियमित रूप से ऋण चुकाने पर ही बैंक को प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी।

7. **योजना अवधि :** जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक।

8. **पंजीयन :** कामगार सेतु पोर्टल पर http://kamgarsetu.mp.gov.in/ लिंक से केवल ऑनलाइन पंजीयन किया जा सकेगा।

9. **पात्र परियोजना :** केश शिल्पी, पथ विक्रेता, हाथठेला चालक, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार, सायकल/मोटर सायकल रिपेरिंग, बढ़ईगिरी, कुम्हार, ग्रामीण शिल्पी, बुनकर, धोबी, टेलरिंग, कर्मकार मण्डल से संबंधित व्यवसाय अथवा जिला स्तर पर जिला समिति द्वारा निर्धारित व्यवसाय आदि।

10. **क्रियान्वयन :** इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जावेगा। इस योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता वाले आवेदकों को लाभान्वित किया जायेगा।

11. **पात्रता :**
   - i. ग्रामीण प्रवासी श्रमिक एवं समाज के समस्त गरीब पात्र होंगे।
   - ii. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसायी जो आजीविका मिशन/तेजस्विनी परियोजना में गठित समूह सदस्य हों या जिनकी पत्नी समूह सदस्या हों।
   - iii. रोजगार/कामगार सेतु में दर्ज ग्रामीण क्षेत्र के प्रवासी श्रमिक। इनके द्वारा नवीन व्यवसाय का आवेदन भी दिया जा सकता है।
   - iv. मध्यप्रदेश का मूल निवासी के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता होगी किंतु स्थानीय प्रमाण पत्र शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
   - v. आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता (Defaulter) नहीं होना चाहिए।

नोट : उद्यमियों हेतु ग्राम पंचायतवार सर्वेक्षण कराया जा सकता है। सर्वेक्षण में पात्र हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित किया जाए।

12. **आवेदन प्रक्रिया :**
   - i. आवेदक द्वारा आवेदन कामगार पोर्टल पर जनपद पंचायत में आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र नि:शुल्क रहेगा।
   - ii. सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्य MAP-IT द्वारा देखे जावेंगे।

13. **आवेदन पत्रों का निराकरण :**
   - i. प्रकरणों का निराकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।
   - ii. जनपद पंचायत द्वारा योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण किया जाकर बैंकों को अनुशंसा के साथ अग्रेषित किया जायेगा।
   - iii. बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्यूरिटी/धरोहर राशि की मांग आवेदक से नहीं की जायेगी।
   - iv. बैंक द्वारा 15 दिवस के अंदर प्रकरण का निराकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।
   - v. 30 दिवस में बैंक से प्रकरण के निराकरण संबंधी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने पर जिला स्तर पर गठित समीक्षा समिति के समक्ष लंबित प्रकरण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जायेगी।

14. **समीक्षा :**
   - **(क) राज्य स्तर :** इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जायेगा। राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी आजीविका फोरम होगा। अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित होगी जिसमें, संचालक संस्थागत वित्त, प्रदेश संचालक भारतीय रिजर्व बैंक, संयोजक– राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC), संचालक पंचायतराज, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य आजीविका फोरम सदस्य होंगे।
   - **(ख) जिला स्तर :** इस योजना की जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति सतत समीक्षा करेगी। इस समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :

1.	कलेक्टर	–	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	–	सदस्य सचिव
3.	महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र	–	सदस्य
4.	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक	–	सदस्य
5.	तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला		

	समन्वयक/प्रतिनिधि	–	सदस्य
6.	वित्त अधिकारी – जिला पंचायत	–	सदस्य
7.	जिला परियोजना प्रबंधक (आजीविका मिशन)	–	सदस्य

15. ब्याज की दर एवं ऋण अदायगी :

i. आरंभिक स्थगन 03 माह का होगा।

ii. आरंभिक स्थगन के बाद ऋण अदायगी 01 वर्ष में की जायेगी।

iii. देय तिथि के पूर्व ऋण भुगतान पर कोई पेनाल्टी देय नहीं होगी।

16. वित्तीय प्रवाह :

बैंक द्वारा आवेदक/हितग्राही के प्रकरण स्वीकृति के पश्चात तथा प्रकरण के संबंध में बैंक की संपूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद, जिले के नोडल बैंक से ब्याज अनुदान प्राप्ति क्लेम करेंगे। परियोजना लागत अधिकतम राशि रुपये 10 हजार निर्धारित है। प्रवासी श्रमिकों एवं समाज के गरीब वर्ग को कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। सहायता की राशि स्वीकृति परियोजना अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम द्वारा जिला पंचायत के नोडल बैंक में उपलब्ध कराई जायेगी। सहायता राशि का अंतरण योजना के प्रावधान अनुसार किया जायेगा। जिला पंचायत द्वारा इसकी जानकारी एवं पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम को उपलब्ध कराई जायेगी।

17. हितग्राहियों के परिचय पत्र :

योजना अंतर्गत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को जनपद पंचायत द्वारा ऑनलाइन परिचय पत्र जारी किया जायेगा।

18. विविध :

i. बैंक से आशय– समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी बैंक एवं व्यावसायिक बैंक से है।

ii. गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर हितग्राहियों से समस्त राशि 10 प्रतिशत दाण्डित ब्याज सहित वसूल की जा सकेगी।

iii. ऋण राशि का दुरुपयोग पाए जाने की स्थिति में भू–राजस्व बकाया की तरह वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

iv. हितग्राही द्वारा ऋण/ब्याज की पुनर्भुगतान/भुगतान में डिफाल्ट की स्थिति में योजना अंतर्गत पूर्व में दी गई सहायता भू–राजस्व बकाया की तरह वसूली योग्य होगी।

19. योजना की व्याख्या/संशोधन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सक्षम होगा। योजना को राज्य शासन की क्रेडिट गारंटी रहेगी। इस योजना के पात्र हितग्राहियों को स्टाम्प ड्यूटी के प्रयोजनों से विमुक्त रखा गया है।

सबकी योजना सबका विकास अभियान के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
//आदेश//

क्रमांक/RGSA/2020/22/पं-1/प.उ.स./491 **भोपाल, दिनांक 30.09.2020**

सचिव, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक M-11015/159/2019-CB दिनांक 18 अगस्त 2020 के परिपालन में 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2020 तक आयोजित People's Plan Campaign for Gram Panchayat Development Plan (GPDP) ''सबकी योजना सबका विकास'' विशेष अभियान अंतर्गत अधोसंरचना, मानव विकास एवं आर्थिक गतिविधि के आधार पर ग्राम पंचायतों की 100 की स्केल पर सभी ग्राम पंचायतों की सर्वे/रैंकिंग की जानी है, इस हेतु भारत शासन के निर्देशानुसार सर्वे में लगने वाले मानव संसाधन (फेसिलिटेटर/सीआरपी) को प्रोत्साहन राशि का बजट आवंटन (वित्तीय प्रबंध) मनरेगा द्वारा किया जाना है इस हेतु श्रीमती सूफिया फारूकी वली मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनरेगा परिषद को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है साथ ही श्री विवेक दवे संयुक्त आयुक्त एवं श्री अनिल कोचर उपायुक्त मनरेगा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर, निम्नलिखित दायित्व सौंपे जाते हैं :-

1. मिशन अन्त्योदय के मापदण्ड अनुसार समस्त 22811 ग्राम पंचायतों का मिशन अन्त्योदय एप पर सर्वे/रैंकिंग कार्य अभियान की नियत समयावधि में पूर्ण करने के लिये, सर्वे हेतु फेसीलेटर्स की नियुक्ति में समन्वयन, फेसिलिटेटर्स को मानदेय भुगतान की व्यवस्थाएं।
2. मिशन अन्त्योदय सर्वे एवं जीपीडीपी अभियान हेतु अंतर्विभागीय समन्वयन, मिशन अन्त्योदय पोर्टल का अनुश्रवण और मूल्यांकन करना।
3. मिशन अन्त्योदय सर्वे एवं जीपीडीपी पोर्टल पर जिला/जनपद/ग्राम पंचायत स्तर पर समस्त डेटा अपलोडिंग का समस्त कार्य का समय-सीमा में क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एमपीएसआरएलएम एवं पंचायत राज आईटी सेल से समन्वय कर पूर्ण करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

सबकी योजना सबका विकास अभियान संबंधी निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
//आदेश//

क्रमांक/RGSA/2020/22/पं-1/प.उ.स./495 **भोपाल, दिनांक 30.09.2020**

सचिव, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक M-11015/159/2019-CB दिनांक 18 अगस्त 2020 के परिपालन में 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2020 तक आयोजित People's Plan Campaign for Gram Panchayat Development Plan (GPDP) ''सबकी योजना सबका विकास'' विशेष अभियान अंतर्गत अधोसंरचना, मानव विकास एवं आर्थिक गतिविधि के आधार पर ग्राम पंचायतों की 100 की स्केल पर सभी ग्राम पंचायतों की सर्वे/रैंकिंग की जानी है, इस हेतु श्री एम.एल. बेलवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम.पी.-एस.आर.एल.एम. नोडल अधिकारी रहेंगे श्री सुधीर जैन उपायुक्त एमपीएसआरएलएम सहायक नोडल अधिकारी साथ ही श्री शैलेन्द्र भदौरिया एसपीएम आईटी एमपीएसआरएलएम को मिशन अन्त्योदय पोर्टल का तकनीकी सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर, निम्नलिखित दायित्व सौंपे जाते हैं :-

1. मिशन अन्त्योदय के मापदण्ड अनुसार समस्त 22811 ग्राम पंचायतों का मिशन अन्त्योदय एप पर सर्वे/रैंकिंग कार्य अभियान की नियत समयावधि में पूर्ण करने के लिये, सर्वे हेतु फेसीलेटर्स की नियुक्ति, फेसीलेटर्स, टास्कफोर्स, पीआरआई एसएचजी कन्वर्जेन्स का प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण उपरांत समस्त ग्राम पंचायतों का सर्वे, गरीबी उन्मूलन प्लान का निर्धारण (Village Poverty Reduction Plan for Year 2021-22), फेसीलेटर्स रिपोर्ट निर्धारण/अपलोडिंग, डाटा एकत्रीकरण तथा मिशन अन्त्योदय/एप में समस्त जानकारियां अपलोड करने की व्यवस्था।
2. PRI-SHG पार्टनरशिप एवं जनसहभागिता से 02 अक्टूबर 2020 की ग्राम सभा में सर्वे एवं लाइन-विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों की मेपिंग का ग्राम सभा में अनुमोदन का कार्य तथा उसके पश्चात ग्राम पंचायतों के जी.पी.डी.पी. निर्माण हेतु समन्वयन।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/RGSA/2020/22/पं-1/प.उ.स./496 **भोपाल, दिनांक 30.09.2020**

प्रतिलिपि

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. श्री सुनील कुमार सचिव, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद रोड, कृषि भवन, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र क्रमांक M-11015/159/2019-CB 18 अगस्त 2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री अलोक प्रेम नागर संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार 11वां फ्लोर जीवन प्रकाश बिल्डिंग 25, कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त मनरेगा, परिषद नर्मदा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सीईओ एमपीएसआरएलएम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संभागायुक्त समस्त की ओर सूचनार्थ।
9. कलेक्टर, जिला- समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत- समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संचालक वाल्मी भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि राज्य स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।
12. एस.आई.आर.डी. जबलपुर की ओर भेजकर लेख है कि मिशन अन्त्योदय, जीपीडीपी अभियान, पीआरआई एसएचजी आदि के राज्य, जिला, जनपद, संकुल/ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षणों हेतु संबंधित नोडल अधिकारियों से समन्वय कर प्रशिक्षण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
13. संचालक संजय गांधी संस्थान पचमढ़ी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. संयुक्त आयुक्त, (स्थापना एवं कार्यालय प्रमुख) विकास आयुक्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. प्राचार्य ईटीसी/पीटीसी समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. श्री विवेक दवे, संयुक्त आयुक्त, दीनदयाल अन्त्योदय योजना विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
17. डीपीएम (एम.पी.एस.आर.एल.एम.) समस्त की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, प्रशिक्षण/स्थापना/वित्त/समन्वय पंचायत राज संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
19. राज्य कार्यक्रम समन्वयक आरजीएसए/प्रशिक्षण एवं स्टेट लीड SUTRA-PMU/यूनिसेफ भोपाल की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

'सबकी योजना सबका विकास'' ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) हेतु विशेष अभियान क्रियान्वित किये जाने के संबंध में

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/पं.रा./GPDP/2020/493 **भोपाल, दिनांक 30.09.2020**

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
11. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
12. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
13. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मत्स्य पालन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
14. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
15. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
16. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
17. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

विषय : ''सबकी योजना सबका विकास'' ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) हेतु विशेष अभियान क्रियान्वित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ : सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक M-11015/159/2019/CB दिनांक 18 अगस्त, 2020

संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ''सबकी योजना सबका विकास'' अंतर्गत वर्ष 2021-22 की प्रत्येक ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत योजना (Gram Panchayat Development Plan) तैयार करने के लिए दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक एक जन अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

अभियान में पंचायतों को हस्तांतरित 29 विषयों से संबंधित विभिन्न विभागों की सक्रिय सहभागिता अपेक्षित की गई है। अभियान के संबंध में प्राप्त पत्र एवं दिशा-निर्देश/मार्गदर्शिका संलग्न है, तद्नुसार आपके विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही नियत समयावधि में संपादित की जाना है :-

1. **राज्य एवं जिला स्तरीय नोडल अधिकारी का जीपीडीपी पोर्टल पर पंजीयन –** अभियान के लिये आपके विभाग की ओर से राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी एवं 51 जिलों में जिला स्तरीय नोडल अधिकारी का नामांकन आपके स्तर से किया जाना है इस हेतु नामांकित नोडल अधिकारी का नाम, पद, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. सहित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि

पंजीयन पोर्टल पर किया जा सके।

2. ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिये आयोजित ग्राम सभा/पंचायत प्रशासन समिति की बैठक में आपके विभाग की योजनाओं का Annexure-VII में प्रस्तुतिकरण किया जाना है इस हेतु ग्राम पंचायतवार क्षेत्रीय कर्मियों (Frontline Workers) की नियुक्ति आपके स्तर से की जानी है नियुक्त पंचायतवार क्षेत्रीय कर्मियों (Frontline Workers) द्वारा उक्त प्रस्तुतिकरण के साथ चिन्हित विभागीय गतिविधियों हेतु हितग्राहियों/कार्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. जिला स्तर पर समन्वय हेतु जिला कलेक्टर को अभियान हेतु नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इस कार्य में कलेक्टर के सहायक रहेंगे।
4. **मिशन अन्त्योदय सर्वे** हेतु राज्य स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमपीएसआरएलएम नोडल अधिकारी रहेंगे, श्री सुधीर जैन उपायुक्त एमपीएसआरएलएम से सहायक नोडल अधिकारी रहेंगे, मिशन अन्त्योदय सर्वे प्रति शत–प्रतिशत ग्राम पंचायतों का होना है जिसमें सभी सेक्टर/लाइन विभागों से संबंधित ग्राम पंचायत स्तरीय जानकारी कुल 143 बिन्दुओं/पेरामीटर्स के आधार पर भरी जानी है अतः सभी संबंधित लाइन विभागों अपने–अपने फ्रन्ट लाइन वर्कर्स/सीआरपीएस के माध्यम से सर्वे के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए जानकारी संधारित करायें। जिला स्तर पर डीपीएम एमपीएसआरएलएम सर्वे के नोडल अधिकारी रहेंगे।
5. मिशन अन्त्योदय सर्वे मोबाइल एप पर अपलोड करने से संबंधित समस्त कार्यवाहियां राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबंधक आईटी एसआरएलएम नोडल अधिकारी रहेगा। जिला स्तर पर सर्वे हेतु तकनीकी रूप से प्रशिक्षण एवं तकनीकी सपोर्ट हेतु जिला पंचायत में पदस्थ डेटा मैनेजर मनरेगा एवं ई–गवर्नेंस सोसायटी तकनीकी (टेक्निकल) नोडल अधिकारी रहेंगे। जिनसे लाइन विभाग के जिला एवं जनपद अधिकारी भी सर्वे से संबंधित तकनीकी समन्वयक एवं सहयोग प्राप्त कर सकेंगे।
6. **मिशन अन्त्योदय सर्वे एवं जीपीडीपी प्रशिक्षण एवं समस्त पोर्टल का प्रशिक्षणों का क्रियान्वयन** का दायित्व संचालक एसआईआरडी, जबलपुर का रहेगा जिसके अंतर्गत मिशन अन्त्योदय सर्वे/पीआरआई एसएचजी संबंधित प्रशिक्षण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमपीएसआरएलएम से समन्वयन कर करेंगे एवं अभियान अंतर्गत जीपीडीपी प्रशिक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही संचालक पंचायत राज संचालनालय पीएमयू आरजीएसए से समन्वयन कर करेंगे।
7. अभियान के अंतर्गत समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग प्रक्रिया तथा दिशा–निर्देश भारत सरकार के पोर्टल www.gpdp.nic.in एवं missionantyodaya.nic.in पर उपलब्ध है।
8. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से श्री विवेक दवे संयुक्त आयुक्त (मो.नं. 9425373332) मनरेगा एवं श्री अनिल कोचर उपायुक्त (मो.नं. 9131805007) मिशन अन्त्योदय सर्वे में वित्तीय एवं मानव संसाधन व्यवस्था एवं जीपीडीपी हेतु अंतर्विभागीय समन्वयन (18 विभाग) हेतु नोडल अधिकारी रहेंगे।
9. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से समन्वय हेतु वी.के. त्रिपाठी उप संचालक आई.टी. (9425921500) नोडल अधिकारी रहेंगे जो कि जीपीडीपी/ई ग्राम स्वराज संबंधी गतिविधियों/तकनीकी समस्याओं का निदान करेंगे।
10. श्री प्रफुल्ल जोशी राज्य कार्यक्रम समन्वयक आरजीएसए (मो. 8770239932) अभियान अंतर्गत होने वाले गतिविधियों/प्रशिक्षणों के अनुश्रवण एवं विभागीय समन्वय हेतु पंचायत राज संचालनालय से नोडल अधिकारी रहेंगे।
11. राज्य स्तर पर अभियान के क्रियान्वयन हेतु पीएमयू गठित किया गया है जिनसे समन्वयन हेतु संपर्क किया जा सकता है।

● अनिल कोचर उपायुक्त (मो.नं. 9131805007) ● श्री शैलेन्द्र भदौरिया (एसपीएम आईटी एसआरएलएम) मो.नं. 8349901016 ● श्री दीपक गौतम (राज्य प्रोग्रामर आईटी) मो.नं. 9009285881 ● श्री अमित शर्मा कन्सलटेंट (पीएमयू आईटी) मो.नं. 8827437662	पोर्टल एवं आईटी एवं मिशन अन्त्योदय सर्वे हेतु
● श्री जितेन्द्र पण्डित स्टेट लीड (SUTRA-TRIF) मो.नं. 9425048121 ● श्री सौरव दत्ता कन्सलटेंट (प्रशिक्षण एवं आईईसी) मो.नं. 9977689696	जीपीडीपी क्रियान्वयन एवं विभागीय समन्वयन

अतः आपके विभाग से नियुक्त राज्य एवं जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों की जानकारी संलग्न निर्धारित प्रारूप में विभाग के ई–मेल dirpanchayat@mp.gov.in एवं mpprd.rgsa@mp.gov.in पर भेजने का कष्ट करेंगे, साथ ही अपने अधीनस्थ जिला एवं जनपद अधिकारियों को यथा आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करेंगे।

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल

पृ. क्रमांक/पं.रा./GPDP/2020/494 **भोपाल, दिनांक 30.09.2020**

प्रतिलिपि :–

1. श्री सुनील कुमार सचिव पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, कृषि भवन, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र क्रमांक M–11015/159/2019–CB दिनांक 18 अगस्त, 2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री अलोक प्रेम नागर संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार 11वां फ्लोर, जीवन प्रकाश बिल्डिंग 25, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की ओर सूचनार्थ।
4. संभाग आयुक्त, संभाग समस्त, मध्यप्रदेश।
5. संचालक, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. संचालक वाल्मी भोपाल की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक एसआईआरडी जबलपुर की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संचालक एसजीआई पचमढ़ी की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. कलेक्टर जिला–समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–समस्त, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि सभी लाइन विभागों से समन्वयन कर जिला एवं जनपद स्तरीय नोडल अधिकारियों का नामांकन सुनिश्चित कराते हुए नोडल अधिकारियों के नाम पद मो.नं. एवं ई–मेल आईडी की जानकारी पंचायत राज संचालनालय में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
11. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक एवं संभागीय नोडल अधिकारी पंचायत राज संचालनालय की ओर भेजकर लेख है कि अपने–अपने संभाग से जीपीडीपी जन अभियान एवं जिला जनपद एवं फ्रन्ट लाइन वर्कर्स का नामांकन जिलों से संपर्क कर करवाना सुनिश्चित करेंगे।
12. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग एवं माध्यम की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
13. राज्य कार्यक्रम समन्वयक, आरजीएसए की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. यूनिसेफ भोपाल एवं स्टेट कन्सलटेन्ट यूनिसेफ भोपाल की ओर सूचनार्थ।
15. स्टेट लीड टीआरआईएफ/जीपीडीपी सहयोग इकाई की ओर सूचनार्थ।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल

''सबकी योजना सबका विकास'' (GPDP निर्माण) अंतर्गत प्रशिक्षण आयोजित करने बावत्

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/RGSA/2020/22/पं.-1/पं.उ.स./497 **भोपाल, दिनांक 30.09.2020**

प्रति,

संचालक
एम.जी.एस.आई.आर.डी.
आधारताल, जबलपुर

विषय : ''सबकी योजना सबका विकास'' (GPDP निर्माण) अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण आयोजित करने बावत्।

संदर्भ : सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक M-11015/159/2019-CB दिनांक 18 अगस्त, 2020

भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2020 जन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में शासन के 18 विभाग तथा 11वीं अनुसूची में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को प्रदत्त 29 विषय का समावेश करते हुए वर्तमान में उपलब्ध मिशन अन्त्योदय सर्वे के पैरामीटर, CENSUS 2011 SECC सर्वे डाटा के अतिरिक्त डाटा स्रोत के आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार की जाना है। इस अभियान अंतर्गत कराये जाने वाले समस्त प्रशिक्षणों हेतु संचालक एसआईआरडी जबलपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर निम्नलिखित दायित्व सौंपे जाते हैं :-

1. अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में नियुक्त Facilitators की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष भी 22811 ग्राम पंचायतों में नियुक्त Facilitators एवं जी.पी.डी.पी. निर्माण हेतु नियोजन दल (जीपीपीएफटी) का प्रशिक्षण, पंचायत पदाधिकारी/कार्यकारी अमले का प्रशिक्षण, SHG-PRI कन्वर्जेन्स प्रशिक्षण इत्यादि भारत सरकार एवं एन.आई.आर.डी. हैदराबाद द्वारा विकसित मॉड्यूल/टूल किट अनुसार दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. अभियान अंतर्गत मिशन अन्त्योदय सर्वे जिसमें भारत शासन स्तर से निर्धारित प्रश्नावली/मापदण्ड के 143 बिन्दु अनुसार विभिन्न क्षेत्रकों का सर्वे एवं मिशन अन्त्योदय एप पर अपलोड कराये जाने हेतु फेसीलेटर्स/जीपीपीएफटी की ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षणों का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर तक सुनिश्चित करेंगे, साथ ही मिशन अन्त्योदय की ग्राम पंचायतवार डेटा फीडिंग हेतु जानकारी संकलन के लिए प्रशिक्षण मटेरियल, यूजर मेनुअल आदि तैयार कर विषय आधारित व्यवहारिक प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि नियमित समयावधि में जानकारी पोर्टल/मोबाइल एप पर अपलोड हो सके।
3. कोविड जनित परिस्थितियों में भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्धारित Standard operation procedure (SOP) का पालन करते हुए अभियान अंतर्गत उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण हेतु जिला जनपद/क्लस्टरवार 51 जिलों का प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार कर संबंधित जिलों को जिला/जनपद स्तर पर होने वाले प्रशिक्षणों के venue सहित तिथिवार जानकारी उपलब्ध करायेंगे। जानकारी की प्रति संचालनालय को उपलब्ध करायें ताकि जिलों को राज्य स्तर से भी सूचित किया जा सके।

4. राज्य एवं जिला/जनपद स्तर पर होने वाली कार्यशालाओं, जनपद एवं संकुल/ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले समस्त प्रशिक्षणों हेतु सभी 13 विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं से समन्वयन कर संस्थावार/जिलेवार/जनपदवार/संकुलवार संकाय सदस्य/मास्टर ट्रेनर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे ताकि नियत समयावधि में प्रशिक्षण सुनिश्चित किये जा सकें।
5. जीपीडीपी जन अभियान अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु किये जाने वाले प्रशिक्षणों के कास्कोडिंग मोड में/वर्चुअल क्लास मोड में निष्पादन हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रशिक्षण हेतु नोडल जिला/जनपदवार नोडल अधिकारियों का नामांकन एवं प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु जिला एवं जनपद स्तर पर नोडल/सहायक नोडल अधिकारियों का नामांकन।
6. जीपीडीपी जन अभियान एवं मिशन अन्त्योदय अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स की संस्थागत प्रशिक्षण ट्रेनिंग पूर्ण कराये जाने पर कास्केडिंग मोड में जनपद एवं संकुल स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से समन्वयन कर प्रशिक्षण की संपूर्ण रणनीति (स्थान, प्रशिक्षण मटेरियल, एसओपी अनुसार व्यवस्थाएं, प्रशिक्षण कैलेण्डर) आदि निर्धारित कर निश्चित करेंगे।
7. **प्रशिक्षण हेतु बजट की उपलब्धता –** प्रशिक्षण संस्थाओं को आवंटित जिले अनुसार किये जाने वाले प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु बजट की व्यवस्था/प्रबंध आरजीएसए के प्रशिक्षण मद से संस्थागत निर्धारित मापदण्ड अनुसार राशि का हस्तांतरण/उपयोग सुनिश्चित करेंगे ताकि प्रशिक्षण नियत समयावधि में संचालित किये जा सकें।
8. प्रशिक्षण मॉड्यूल, सर्वे प्रपत्र आदि तैयार कर, प्रशिक्षण के पूर्व समस्त जनपदों में उपलब्ध कराया जाना एवं तदनुसार सर्वे हेतु मिशन अन्त्योदय एप का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाना।
9. भारत सरकार द्वारा ग्रामसभाएं आयोजन एवं अन्य प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु दिये गये प्रारूप/परिपत्र/मटेरियल आदि का हिन्दी रूपान्तरण कर संबंधितों को उपलब्ध कराया जाना एवं कृत कार्यवाही से पंचायत राज संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना।
10. प्रशिक्षण अवधि के फोटोग्राफ्स पोर्टल पर भी अपलोड कराने की व्यवस्था करना।
11. प्रशिक्षण उपरांत जीपीडीपी निर्माण एवं मिशन अन्त्योदय सर्वे के दौरान ग्राम पंचायतों को हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट प्रदाय करने हेतु जनपदवार अनुदेशकों एवं मास्टर ट्रेनर्स को फॉलोअप गतिविधि में ग्राम पंचायत आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे ताकि गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी निर्माण हो सके।

उपरोक्तानुसार समस्त प्रशिक्षणों एवं गतिविधियों हेतु रणनीति तैयार की जाकर चरणबद्ध तरीके से निर्दिष्ट, मास्टर ट्रेनर, नियोजन दल एवं कार्यकारी अमले का प्रशिक्षण/गतिविधियां दिनांक 10.10.2020 तक सुनिश्चित करेंगे।

समस्त प्रकार के प्रशिक्षण/गतिविधियों से संबंधित प्रगति समय–समय पर संचालक पंचायत राज संचालनालय समन्वयन कर जानकारियों/प्रगति से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह अपेक्षित है कि प्रत्येक जनपद पंचायत की कम से कम एक ग्राम पंचायतों के मॉडल जीपीडीपी प्लान बुकलेट फार्म में एसआईआरडी जबलपुर के माध्यम से कंपेडियम/प्लान बुक के फार्म में तैयार की जावे एवं एक प्रति पंचायत राज संचालनालय में भी उपलब्ध कराई जावे, जिससे राष्ट्रीय स्तर के जीपीडीपी मॉनीटर्स को एवं अन्य जिलों को बेस्ट प्रेक्टिसेस के रूप में साझा किया जा सके।

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/RGSA/2018/22/पं.–1/पं.उ.स./498 **भोपाल, दिनांक 30.09.2020**

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. श्री सुनील कुमार सचिव, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, कृषि भवन, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र क्रमांक M–11015/159/2019–CB 18 अगस्त, 2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

3. श्री आलोक प्रेम नागर संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार 11वां फ्लोर जीवन प्रकाश बिल्डिंग 25, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. नज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त मनरेगा, परिषद नर्मदा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संभागायुक्त समस्त की ओर सूचनार्थ।
8. कलेक्टर, जिला–समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संचालक वाल्मी भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि राज्य स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।
11. एस.आई.आर.डी. जबलपुर की ओर भेजकर लेख है कि मिशन अन्त्योदय, जीपीडीपी अभियान, पीआरआई एसएचजी आदि के राज्य, जिला, जनपद, संकुल/ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षणों हेतु संबंधित नोडल अधिकारियों से समन्वय कर प्रशिक्षण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।
12. संचालक संजय गांधी संस्थान, पचमढ़ी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. संयुक्त आयुक्त (स्थापना एवं कार्यालय प्रमुख) विकास आयुक्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. प्राचार्य ईटीसी/पीटीसी समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. श्री विवेक दवे, संयुक्त आयुक्त, दीनदयाल अन्त्योदय योजना विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
16. डीपीएम (एम.पी.एस.आर.एल.एम.) समस्त की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. संयुक्त संचालक, आरजीपीएसए/प्रशिक्षण/स्थापना/वित्त/समन्वय पंचायत राज संचालनालय की ओर सूचनार्थ।

संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल